लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[पांचवां सत्र
Fifth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 19 में अंक 21 से 25 तक हैं
Vol. XIX contains Nos. 21 to 25]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी म दिय गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

49 LSS/72—1

विषय सूची/Contents

अंक 25—सोमवार, 4 सितम्बर, 1972/13 भाद्र, 1894 (शक)
No. 25—*Monday, September* 4, 1972/*Bhadra* 13, 1894 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
सदस्यों द्वारा उठाये गये विभिन्न मामले	Miscellaneous matters raised by Members	1—4
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re: Question of Privilege .	1
सदस्य की गिरफ्तारी और निरोध के बारे में	Re: Arrest and Detention of Member	
(श्री ईश्वर चौधरी)	(Shri Ishwar Chaudhury) . .	4
पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ के बारे में	Re: Floods in West Bengal . .	5
मालवीय समिति के प्रतिवेदन के प्रकाशन के बारे में	Re: Publication of Malaviya Committee Report . . .	5—6
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	6—7
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha .	7
विधेयक पर अनुमति	Assent to Bill	7
उगांडा में रह रहे एशियाई मूल के लोगों के बारे में वक्तव्य	Statement Re: Asians in Uganda .	7—13
(श्री स्वर्ण सिंह)	(Shri Swaran Singh) .	7—13
बामेर लारी एण्ड कम्पनी के शेयरों की खरीद के बारे में	Statement by Member Re. Purchase of shares of Balmer Lawrie and Co.	13—19
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra . .	13
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale . .	15
प्रत्यक्ष कर जांच समिति के अन्तिम प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re: Final Report of Direct Taxes Enquiry Committee . .	19—26
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty	19
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate .	20
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	22
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu .	25
भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण के बारे में चर्चा	Discussion Re : Working of Food Corporation of India .	27—41
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	27

		पृष्ठ PAGE
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra	29
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	30
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh .	31
श्री झारखंडे राय	Shri Jharkhande Rai . .	32
श्री राम नारायण शर्मा	Shri R. N. Sharma .	32
श्री शाहनवाज खां	Shri Shahnawaz Khan . .	34
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan . . .	34
श्री साधु राम	Shri Sadhu Ram .	35
श्री जगन्नाथराव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	35
श्री पी० एम० मेहता	Shri P. M. Mehta .	36
श्री समर गुह	Shri Samar Guha .	37
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed .	39

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
(LOK SABHA DEABTES SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 4 सितम्बर, 1972/भाद्र 13, 1894 (शक)

Monday, September 4, 1972/Bhadra 13, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair

सदस्यों द्वारा उठाये गये विभिन्न मामले

MISCELLENEOUS MATTERS RAISED BY MEMBERS

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): श्रीमन्, मैंने आपको कुछ नोटिस दिए हैं जो आर०पी० गोयनका और के० पी० गोयनका समूह द्वारा विदेशों में जमा अपने काले धन से शा वालेस कंपनी को अपने नियंत्रण में ले लेने के बारे में है, आज सत्र का अंतिम दिन है।

अध्यक्ष महोदय : जब तक मैं आपको न बुलाऊं, कृपया आप खड़े न हों। आपका आज तीसरा अंतिम दिन है और आप रोज कोई न कोई बात उठा रहे हैं। आखिर किसी बात की सीमा होती है, ऐसे कुछ विषय हैं जो केवल राज्य से संबंधित हैं।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE : QUESTION OF PRIVILEGES

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप कृपया श्री ए० के० शाह के विशेषाधिकार प्रश्न को लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस विशेषाधिकार के मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया है।

सदस्यों द्वारा उठाये गये विभिन्न मामले

MISCELLENEOUS MATTERS RAISED BY MEMBERS

श्री एम० कतामुतु (नागापट्टिनम) : मैं लोक महत्व का एक गंभीर मामला उठाना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक आर्ट्स कालेज के विद्यार्थी हाल्ट स्टेशन खोलने की मांग कर रहे हैं और इसी बात को लेकर विद्यार्थियों और कर्मचारियों में झड़पें भी हुई हैं। रेलवे कर्मचारियों ने तंजौर और ब्रांच लाइनों म हड़ताल की हुई है। रेलवे अधिकारियों द्वारा इस मामले में अत्यधिक विलम्ब किये जान से स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है, मरा निवेदन है कि वहां हाल्ट स्टेशन खोला जाये।

श्री एस० एम० बनर्जी : हमने न्यूनतम बोनस 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.33 प्रतिशत तक बढ़ान की मांग की हुई है। समिति में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भी न्यूनतम बोनस 8.33 प्रतिशत तक करने की मांग की है और व चाहते हैं कि सरकारी उपक्रमों तथा केन्द्रीय सरकारी विभागों को भी समिति के क्षेत्राधिकार में लाया जाय। दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने इस बार म कोई निणय नहीं लिया है।

इस कारण से इसकी मांग के समर्थन में हड़तालें हो सकती हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार आश्वासन दे कि बोनस समीक्षा समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा किये बिना न्यूनतम बोनस में वृद्धि की जायेगी।

चूंकि मूल्य सूचकांक 240 तक पहुंच गया है, इसलिए वेतन आयोग के प्रतिवेदन के आने के पूर्व ही सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम राहत दी जानी चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मंत्री महोदय से इन दो बातों पर शीघ्र वक्तव्य दिलायें।

श्री वय्यलार रवि (चिरयिंकील) : केरल में शिक्षण संस्थाएं भारी लाभ कमा रही हैं। सरकार ने इसलिए सभी शिक्षण संस्थाओं को अपने अधिकार में ले लिया था। प्रबन्धकों ने इसके विरोध में अपनी संस्थाओं को बन्द कर दिया था, प्रधान मंत्री के आश्वासन पर उन्होंने अपनी शिक्षण संस्थाओं को पुनः खोला, परन्तु उन्होंने अब एक नया नियम प्रवर्तित किया है कि कालेजों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी कैथोलिक चर्च के पादरी से एक पत्र लाया करेंगे। इससे विद्यार्थियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मेरा अनुरोध है कि मत्री महोदय इस पर वक्तव्य द।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : बोनस के मामले में समीक्षा समिति के सदस्यों में मतभेद है। वे लाभ अर्जित करने वाले और लाभ अर्जित न करने वाले उद्योगों में भेद कर रहे हैं। उनका उत्पादन से संबंधित तथा गैर-उत्पादन से संबंधित जैसे रेलवे, डाक तथा तार आदि विभागों के बारे में भी मतभेद है। देश के पूर्वी क्षेत्र में बोनस के लिये आन्दोलन आरम्भ हो गया है, सभी कार्मिक संघों की मांग है कि बिना किसी भेदभाव के सभी कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत का बोनस दिया जाना चाहिये। दूसरे, मूल्य सूचकांक 240 तक पहुंच गया है, इसलिए मंत्री महोदय को आश्वासन देना चाहिए कि कर्मचारियों को दिये जाने वाले मंहगाई भत्ते में वृद्धि की जाएगी।

श्री मान सिंह भौरा (भटिंडा) : चंडीगढ़ स्थित इंजीनियरिंग कालेज में हड़ताल दस दिन से अधिक समय से चल रही है। न्यायोचित मांगों को उठाने वाले विद्यार्थियों पर दमनकारी कार्यवाही की जा रही है। चूंकि चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र है, इसलिए सरकार को इस संबंध में वक्तव्य देना चाहिए।

भारतीय साम्यवादी दल की पंजाब शाखा ने पजाब के भूतपूर्व इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस के विरुद्ध भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद के गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मामले की जांच कराई जाये।

अध्यक्ष महोदय : कृपया विस्तार में न जाकर संक्षेप में संगत बात करें।

श्री समर गुह (कन्टाई): मैं जानना चाहता हूं कि उगांडा में एशियाई लोगों, खाद्य मंत्रालय, और हिप्पियों के मामले में मंत्री महोदय अपना वक्तव्य कब देंगे। मैंने बंगला देश और भारत के बीच लागू की गई पासपोर्ट और बीसा व्यवस्था के बारे में भी वक्तव्य देने की मांग की थी। दूसरे, दक्षिण-पूर्व एशिया से हिप्पियों को निकाला जा रहा है क्योंकि वे वहां के लोगों को बिगाड़ रहे हैं। मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार उनको भारत आने की अनुमति दे रही है ?

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : मुझे केवल एक विषय पर कुछ कहना है।

अध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्यों ने बोलने के लिये पहले से ही नोटिस दिया है और आप अभी नोटिस देकर पहले बोलना चाहते हैं।

श्री ए० पी० शर्मा : यह विषय महत्वपूर्ण है। 7 सितम्बर को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हड़ताल करने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री ए० पी० शर्मा : * * *

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री आर० पी० गोयनका एक गंभीर आर्थिक अपराध कर रहे हैं। उन्होंने स्विटजरलैंड, टेन्जीअर्स और हांगकांग में जमा अपने काले धन से शा वालेस कंपनी को खरीद लिया है। सरकार का शा वालेस कंपनी में 17½ लाख रुपये के शेयर हैं। इसने गत वर्ष 27.5 प्रतिशत का लाभ अर्जित किया है और सरकार का उसके सम्पूर्ण अधिमान्य पर स्वामित्व है। सबसे गंभीर बात यह है कि यहां का काला धन प्रीमियम के रूप में स्विटजरलैंड के बैंकों में जमा होता है। इसी धन से गोयनका समूह ने शा वालेस कंपनी को खरीद लिया है। सरकार जब आर्थिक रूप से संकटग्रस्त कंपनियों को अपने नियंत्रण में ले लेती है तो लाभ देने वाली कंपनियों को अपने नियंत्रण में क्यों नहीं लेती है। सरकार को शा वालेस एड कंपनी के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।

दूसरे, मैं आप का ध्यान आज के समाचार पत्र 'दि इंडियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित सम्पादकीय लेख की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें लोक सभा के बारे में कई आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि प्रधान मंत्री को इस संबंध में वक्तव्य देने को कहा जाये।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : वांचू समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा करते हुए यह कहा गया है।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : इस सत्र में दो सदस्यों के निधन के कारण सभा को दो बार स्थगित करना पड़ा था जिसके कारण इस समय कार्य का आधिक्य हो गया है। इसके अतिरिक्त हमने यह कभी नहीं कहा कि गणपूर्ति बनाये रखने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। परन्तु यदि माननीय विरोधी सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं तो उन्हें भी अपना सहयोग देना चाहिए। हमारे मन में सम्पादकीय लेख लिखने वाले सम्पादक के लिये आदर है परन्तु हम यह नहीं कह सकते हैं कि वे अपने लेख में निष्पक्ष हैं अथवा नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सम्पादकीय लेख में आप लोगों को विदूषक कहा गया है।

श्री पीलू मोदी : चूंकि सभा का आज आखिरी दिन है, अतएव आप मुझे कुछ कहने की अनुमति दीजिए, मैं जयपुर की खराब स्थिति के बारे में कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सभा में कभी गणपूर्ति का अभाव रहता है, तो कभी शोर बहुत होता है, हमारा कर्त्तव्य है कि हम कार्य-सूची में उल्लिखित विषयों पर शान्ति के साथ कार्यवाही करें। परन्तु यहां कहे जाने वाले अप्रिय शब्दों से मैं प्रसन्न नहीं हूं।

श्री पीलू मोदी : इस घटना को गणपूर्ति के साथ जोड़ा जाना ठीक नहीं है। वाद-विवाद को गणपूर्ति तक सीमित करके आप उस घटना के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा जारी रखी जाये।

अध्यक्ष महोदय : दोनों पक्षों का यह सुनिश्चित करना कर्त्तव्य है कि सभा में गणपूर्ति बनी रहे। हमें यह देखना चाहिए कि सभा में वाद-विवाद बिना बाधा के चलता रहे। गणपूर्ति कम करने का यह तरीका ठीक नहीं है।

*** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : आप कई अवसरों पर सत्तारूढ़ दल की अपेक्षा विपक्षी सदस्यों पर अधिक निंदात्मक टिप्पणी करते हैं। ऐसा करना वांछनीय नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभा में सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दलों के सदस्यों की संख्या का अनुपात क्रमश: 2 : 1 है। श्री फ्रैंक मोरेस ने सम्पादकीय लेख लिखकर देश और सभा की सेवा की है।

अध्यक्ष महोदय : सभा में कई अवसरों पर गणपूर्ति नहीं होती है। कई बार सदस्य एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। परन्तु मैं इस बात को ठीक नहीं समझता हूं कि बाहर से कोई इस संबंध में टिप्पणी करे।

श्री पीलू मोदी : श्री फ्रैंक मोरेस अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने क्या लिखा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। समाचारपत्रों को इस सम्बंध में अधिकार है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें सभा में एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालनी चाहिए जिससे किसी को कुछ कहने का अवसर मिले।

अध्यक्ष महोदय : समाचारपत्र किसी को नहीं छोड़ते किन्तु कभी-कभी वे अधिक कटु हो जाते हैं। सभा में कई प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयां भी उत्पन्न हो जाती हैं। मेरे विचार से समाचारपत्रों को अपने लेखों में इतनी कटुता नहीं बरतनी चाहिये। मैंने माननीय सदस्य से निवेदन किया है कि सरकार ने उस समस्या को सुलझा दिया है, अतः उन्हें यह मामला नहीं उठाना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : किन्तु इससे यह ज्ञात होता है कि सत्तारूढ़ दल का सरकार में विश्वास नहीं रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें विपक्षी दलों पर भी उत्तरदायित्व आता है। उनके सदस्यों की संख्या 160 है तथा उस समय कम से कम 50 सदस्यों को उपस्थित रहना चाहिये था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम में से 28 सदस्य उपस्थित थे।

सदस्य की गिरफ्तारी और निरोध के बारे में

RE : ARREST AND DETENTION OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : श्री ईश्वर चौधरी ने मुझे बताया है कि पटना जेल के सुपरिंटेंडेंट ने कुछ गलत सूचना दी है। मैं इसे जांच के लिये भेज रहा हूं और उसके बाद ही कोई कार्यवाही की जायेगी।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : Sir, the communication divulged in Bulletin dated 16th August, 1972 reads as follow: "Accordingly, Shri Ishwar Chaudhry, Member, Lok Sabha, was arrested at about 15.15 hours, on the 10th August, 1972 and lodged in Central Jail, Patna, uptill 24th August, 1972 on his failure to furnish a surety bond for Rs. 1,000." But in the communication published in Bulletin dated 2nd September, 1972 it has been stated that "I have to inform you that Shri Ishwar Chaudhry, Member, Lok Sabha, was released on the 28th August, 1972 on P. R. Bond." These communications are contradictory and we should be allowed to raise a matter of privilege.

अध्यक्ष महोदय : मुझे मामले की जांच कर लेने दीजिए। माननीय सदस्य ने मुझे इस मामले की जांच करने का अवसर ही नहीं दिया।

Shri Ishwar Chaudhry (Gaya) : Sir, I launched *Satyagrah* on 10 August, 1972 against Simla agreement and in the support of the genuine demand in regard to declare Bihar as drought affected area. On that I was put behind the bars by inefficient Government of Bihar for the period from 10 August to 28 August. They did not take me before any

Magistrate. They did not ask any surety from me. This has caused serious hurt to my dignity.

Mr. Speaker : Please resume your seat.

पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ के बारे में
RE : FLOODS IN WEST BENGAL

श्री मनोरंजन हाजरा (आरामबाग) : पश्चिम बंगाल में सूखा के बाद अब भयानक बाढ़ आ रही है। इससे हावड़ा, मिदनापुर और आरामबाग जिले अधिक प्रभावित हैं। माननीय मंत्री इस ओर ध्यान दें क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार स्थिति का मुकाबला करने में असमर्थ सी है। पश्चिम बंगाल की बाढ़ग्रस्त जनता को शीघ्र ही केन्द्रीय सहायता पहुँचानी चाहिये।

सदस्य की गिरफ्तारी और निरोध के बारे में
RE. : ARREST AND DETENTION OF MEMBER

Shri Ishwar Chaudhry (Gaya) : Sir, fire was opened on 2-9-72 on the prisoners at Gaya Central Jail as a result of which 55 persons sustained injuries. The condition of 7 persons among them is serious. There are more than 2300 prisoners in Gaya Jail and there are no proper arrangements of food and drinking water for them. So many prisoners have been killed. They have been put in a deplorable condition. I want that these persons should be given immediate protection and the Home Minister should take note of it.

Mr. Speaker : It is a state subject and the Union Minister has no right to intervene

---

मालवीय समिति के प्रतिवेदन के प्रकाशन के बारे में
RE : PUBLICATION OF THE MALAVIYA COMMITTEE REPORT

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आज तक मालवीय समिति का प्रतिवेदन सभा-पटल पर क्यों नहीं रखा गया है। बताया गया था कि इस मामले पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति विचार कर रही है, किन्तु इसका आशय यह नहीं है कि प्रतिवेदन को सभा-पटल पर ही न रखा जाए।

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : श्री मालवीय ने अपनी रिपोर्ट प्रधान मंत्री तथा मुझ को प्रस्तुत की थी, किन्तु मुझे उसकी वास्तविक तारीख याद नहीं है। वस्तुतः सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह निदेश दिया था कि जब तक यह समिति उक्त प्रतिवेदन का अध्ययन नहीं करले तब तक उसका प्रकाशन नहीं होना चाहिए। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के चेयरमैन से हमने यह अनुरोध किया था कि उक्त प्रतिवेदन का अधिकृत

संक्षिप्त रूप प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए क्योंकि समाचारपत्रों में भ्रामक समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। अनुमति मिलने पर संक्षिप्त रूप प्रकाशित किया गया। अतः केवल सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के आदेश का पालन करने के कारण ही उक्त प्रतिवेदन को प्रकाशित नहीं किया गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को इसी सभा ने बनाया है तथा उसका दर्जा इस सभा से बढ़कर नहीं हो सकता। यह समिति उक्त प्रतिवेदन की जांच पहले कर सकती थी तथा अपने विचार दे सकती थी। इसका आशय यह नहीं है कि हमें उक्त प्रतिवेदन का अध्ययन करने से वंचित रखा जाए। प्रतिवेदन को सभा-पटल या ग्रंथालय में रखा जा सकता था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने यह दृष्टिकोण क्यों अपनाया। जब हम कोई नियम बनाते हैं तो उनको सभी समितियों पर लागू करना चाहिये। मैं इसकी जांच करूँगा कि समिति ने ऐसा निर्णय क्यों किया। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आगामी सत्र से पहले ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री आर० वी० बड़े : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या किसी समिति को यह अधिकार है कि वह किसी प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने से सरकार को रोक दे ?

श्री पीलू मोदी : सामान्यतः ऐसे मामलों में बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है क्योंकि सरकार प्रतिवेदनों को प्रकाशित नहीं करती। उक्त प्रतिवेदन महत्वपूर्ण है, अतः उसे उसी रूप में प्रकाशित कर देना चाहिये। उसके बाद सरकार अपने विचार व्यक्त कर सकती है। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उक्त प्रतिवेदन की साइक्लोस्टाइल प्रतियां सदस्यों को उपलब्ध कराई जानी चाहियें तथा उसमें कोई संशोधन नहीं होना चाहिए, हमें संक्षिप्त प्रतिवेदन नहीं चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, हम आपसे अपने अधिकारों की सुरक्षा चाहते हैं तथा निवेदन करते हैं कि सभा की प्रतिष्ठा को बनाए रखा जाए।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय बोनस के बारे में आज अपना वक्तव्य देने वाले हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे स्थिति के बारे में कुछ बताने को कहा है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

चीनी (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1972

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत चीनी (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 अगस्त, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 387(ङ) में प्रकाशित हुआ था सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—3608/72]

भारतीय काजू निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत भारतीय काजू निगम लिमिटेड के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—3609/72]

राज्य सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : महोदय, मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा को लोक सभा से, लोक सभा द्वारा 29 अगस्त, 1972 को पास किये गये विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1972 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(दो) कि राज्य सभा 2 सितम्बर, 1972 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 28 अगस्त, 1972 को पास किये गये साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1972 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

विधेयक पर अनुमति
ASSENT TO BILL

सचिव : महोदय, मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा चालू सत्र के दौरान पास किया गया तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 सभा-पटल पर रखता हूं ।

उगांडा में रह रहे एशियाई मूल के लोगों के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE : ASIANS IN UGANDA

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : अध्यक्ष महोदय,

उप विदेश मंत्री ने 11 अगस्त को इस विषय पर एक वक्तव्य दिया ।

राष्ट्रपति अमीन के 9 अगस्त के भाषण के बाद, जिसमें 90 दिन के अन्दर विदेशी नागरिकता वाले एशिया वासियों के निष्कासन की घोषणा की गई थी, उसी दिन एक आदेश जारी किया गया जिसके

द्वारा एशियाई मूल के सभी व्यक्तियों के, जो यू० के०, भारत, पाकिस्तान और बंगला देश के नागरिक हैं, सभी प्रवेश के अनुमति पत्र तथा आवास के प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए। उसी दिन के जारी किए गए एक सांविधिक आदेश में उन व्यक्तियों की निम्न श्रेणियों की सूची दी गई जिन्हें इन आदेशों से छूट मिली थी :—

(क) सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, तथा अर्ध-सरकारी संगठनों के अधीन काम करने वाले व्यक्ति।

(ख) ऐसे व्यवसाय वाले जैसे कि अध्यापक, स्कूलों के मालिक, वकील, चिकित्सक, लेखा-परीक्षक, लेखापाल, सर्वेक्षक, औद्योगिक, वाणिज्यीय तथा कृषि उद्यमों में काम करने वाले तकनीशियन, औद्योगिक और कृषि उद्यमों के मालिक, बैंक और बीमा कंपनियों के प्रबन्धक और मालिक।

उगांडा सरकार ने हमें सूचित किया है कि छूट दिए जाने वाले व्यक्तियों की सूची बनाई जा रही है और उन लोगों को शीघ्र ही सूचित कर दिया जाएगा।

19 अगस्त को राष्ट्रपति अमीन ने घोषित किया कि एशियाई मूल के उगांडा के नागरिकों को कार्रवाई के दूसरे चरण में छोड़ना होगा किन्तु 22 अगस्त को राष्ट्रपति ने घोषणा की कि एशियाई मूल के उगांडा के नागरिक उनके 90 दिन के अन्दर के निष्कासन वाले आदेश की परिधि में नहीं आएंगे, लेकिन उनकी नागरिकता के कागजातों की सावधानी से जांच की जाएगी।

हमने अगस्त के दूसरे सप्ताह में कंपाला के हाई कमीशन में छह अधिकारी और बढ़ा दिए। विदेश मंत्रालय के अवर सचिव श्री एम० ए० रहमान को 26 से 31 अगस्त तक उगांडा में प्रतिनियुक्त किया गया। उन्होंने विदेश, गृह, रक्षा और वित्त मंत्रियों तथा विदेश कार्यालय के अन्य वरिष्ठ सदस्यों से विचार विमर्श किया। वे भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मिले।

उगांडा में एशियाई मूल के लोगों की चार श्रेणियां हैं :—

(क) उगांडा के नागरिक,

(ख) ब्रिटिश पासपोर्ट धारक,

(ग) भारतीय राष्ट्रिक; और

(घ) राज्यहीन व्यक्ति।

स्वाभाविक रूप से उगांडा में हम भारतीय नागरिकों की ही जिम्मेदारी लेते हैं। मैंने उगांडा के विदेश मंत्री को यह बताते हुए लिखा था कि यद्यपि हम यह मानते हैं कि उगांडा सरकार को अपने विवेक के अनुसार अपने आंतरिक मामलों के नियमन का अधिकार है फिर भी हम इस बात की अपेक्षा करते हैं कि जिन भारतीय नागरिकों को उगांडा छोड़ना है उन्हें वैसा करने के लिए वैसे ही अवसर दिए जाने चाहिए जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा व्यवहार के अधीन मानवीय तथा न्यायसंगत आदर्शों के अनुरूप हो। जब तक भारतीय राष्ट्रिक उस देश में हैं उनके सम्मान और सुरक्षा तथा उनकी सम्पत्ति की हिफाजत की जिम्मेदारी उगांडा सरकार की है। हमने उगांडा सरकार से यह भी कहा है कि उन्हें सम्पत्ति के विक्रय, पावने की वसूली, देश से बाहर संपत्ति को ले जाने तथा बची हुई सम्पत्ति के प्रशासन से संबंधित विनियम शीघ्र ही घोषित करने चाहिए।

उगांडा में लगभग 4,500 भारतीय नागरिकों ने अपने आपको भारतीय हाई कमिश्नर के यहां दर्ज कराया है। इनमें से 3,863 के बारे में हमने विस्तृत आंकड़े इकट्ठे कर लिए हैं और बाकी व्यक्तियों के बारे में कुछ ही दिनों में सूचना एकत्र कर ली जायेगी। जहां तक इन व्यक्तियों का प्रश्न है हमने उनके जल मार्ग और वायुमार्ग से लौटने और सीमा शुल्क एवं आयात नियंत्रण की रियायतों का प्रबन्ध कर दिया है। हमें उनकी संपत्ति के प्रत्यावर्तन की चिंता है। हमारा विचार है कि उन्हें नकद एवं चल सम्पत्ति के प्रत्यावर्तन की दी गई वर्तमान सुविधा पूर्णतः अपर्याप्त है जिसका कारण यह है कि वे बहुत समय से उगांडा में रह रहे थे और अब उन्हें नये जीवन का आरम्भ करना है। हमने अनुरोध किया है कि उन्हें उनका सारा निजी सामान लाने दिया जाय और उनकी अवशिष्ट सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन उचित एवं न्यायसंगत आधार पर किया जाये।

जैसा कि सदन को मालूम है ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश पासपोर्ट धारी सभी एशियाई मूल के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को माना है। इस समस्या पर यू० के० सरकार की स्पष्ट एवं खरी नीति अपनाने पर हमें संतोष है। हम यू० के० की सरकार के सम्पर्क में हैं और पता चला है कि वे इन लोगों को यू० के० ले जाने का प्रबन्ध कर रहे हैं।

वर्तमान सूचना के अनुसार, उगांडा के अधिकारियों द्वारा एशियाई मूल के लोगों के दस्तावेजों का निरीक्षण 10 सितम्बर तक पूरा हो जायेगा। इसी बीच हमने अपना विचार उगांडा की सरकार को बता दिया है कि ऐसे व्यक्ति, जो किसी देश से सम्बन्धित नहीं हैं और जिनकी नागरिकता समाप्त कर दी गई है, अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं परम्पराओं के अधीन उगांडा की जिम्मेदारी है।

हजारों व्यक्ति जो दशकों तक उस देश में रहे थे और अब उन्हें उजाड़ कर नये वातावरण में नये सिरे से जीवन आरम्भ करने के लिये मजबूर करने के पीछे जो भावना है उसमें आज की दुनिया में सहानुभूति एवं उदारता का विचार अत्यन्त आवश्यक है। जल्दबाजी में उनको निकलने पर मजबूर किये जाने से उनक कष्ट बढ़ेंगे।

मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रता के बहुत से पक्ष इसमें सम्मिलित हैं। जाति भेद एवं एक विशेष जाति या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव की नीति पर चलने से दूसरे क्षेत्रों में जाति भेद-भाव के विरुद्ध चल रही जद्दोजहद कमजोर पड़ जायेगी।

भारत ने हमेशा ही दुखियों के प्रति और जिन्होंने यहां शरण मांगी है उनके प्रति सहानुभूति एवं मानवतावादी व्यवहार किया है। अपने सगे संबंधियों के लिए हम इंकार नहीं कर सकते। हमें मानव अधिकार एवं स्वतंत्रता, मानवता का गौरव और सभी जातियों की समानता का दृढ़ता से समर्थन करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रतिदिन याद दिलाया जाता है कि नियमों के अनुसार चर्चा या प्रश्न नहीं किए जाते।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : चर्चा समाप्त होने के पश्चात् यदि कुछ समय बच जाये तो क्या मंत्री महोदय अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण नहीं दे सकते ?

श्री स्वर्ण सिंह : यदि आपको सुविधा हो तो मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं दो या तीन स्पष्टीकरणों की अनुमति दूंगा किन्तु उन्हें चर्चा का रूप नहीं देना चाहिए क्योंकि यह अत्यन्त महत्वपूण विषय है और इसे पूर्वोदाहरण के रूप में भी नहीं लिया जाना चाहिए।

श्री सी० सी० साबरकंठा : विदेशी आप्रवासियों की समस्या को मानवतावादी ढंग से हल करना चाहिए कानूनी ढंग से नहीं। किन्तु हमारे विदेश मंत्रालय का विचार इस समस्या को कानूनी रूप से हल करने का है, क्योंकि उनका कहना है कि केवल भारतीय नागरिक ही हमारे देश में आ सकते हैं। ये भारत मूलक व्यक्ति हैं। कुछ ने हमारी सलाह से उगांडा की राष्ट्रीयता स्वीकार की थी और कुछ ने ब्रिटिश राष्ट्रीयता। अनेक व्यक्ति तो बिल्कुल ही निर्धन हैं उनके पास एक पैसा भी नहीं है उन्हें ब्रिटेन में बसने में बहुत कठिनाई होगी। वे भारत में वापस आना चाहेंगे। इसलिए पूर्वी अफ्रीका में रहने वाले प्रत्येक भारतीय नागरिक को देश में आने की अनुमति दी जानी चाहिए और उन्हें यहां आकर बसने का पूरा अधिकार होना चाहिये। उनके लिए यह शर्त होनी चाहिए कि उन्हें सदा के लिए भारतीय राष्ट्रीयता स्वीकार करनी होगी।

उगांडा में आज घटने वाली घटनाएं पूर्वी अफ्रीकी उपनिवेशों में कल होने वाली घटनाओं के लिए चुनौती हो सकती हैं। तनजानिया में भारतीयों के हितों के विरुद्ध कार्य किया जाता रहा है। ऐसी घटनाएं अन्य उपनिवेशों में भी घट सकती हैं।

अतः भारत मूलक व्यक्तियों को अपने सामान के साथ इन देशों से भारत वापस आने की अनुमति दे दी जानी चाहिए। उनके पुनर्वास के लिए गुजरात में एक शिविर बनाया जाना चाहिए क्योंकि पूर्व अफ्रीका से आने वाले अधिकांश व्यक्ति गुजराती हैं।

श्री के० डी० मालवीय (डुमरियागंज) : प्रत्येक भारत मूलक व्यक्ति को भारत आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि संभव है कि उन्होंने उचित तथा अनुचित रूप से धन एकत्र किया हो। अतः इस मामले पर गंम्भीरता से किन्तु मानवतावादी ढंग से विचार किया जाना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : भारत सरकार इस मामले को राजनीतिक स्तर पर क्यों नहीं हल करती? मंत्री महोदय इस मामले का कोई मैत्रीपूर्ण हल निकालने के लिए इस सम्बन्ध में उगांडा सरकार से बात चीत करने हेतु उगांडा क्यों नहीं जाते ?

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : Sir, this is a very important question which is not confined to Uganda only. People of Indian origin living in Tanzania and other African countries with British Passport have their own problems and we shall have to settle them with British Government.

The problem of the status of a vast majority of Nationals of one country living in another country should be settled at international level. Government should also consider the mode of transfer of assets of immigrants from Uganda.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि कितने भारतीय राष्ट्रिक इससे प्रभावित हैं। दूसरे क्या यह सच है कि हमने इन लोगों को कहा था कि वे ब्रिटेन के नागरिक बन जाएं और ब्रिटेन सरकार का पार-पत्र प्राप्त करें ?

श्री के० नारायण राव : विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उगांडा से अनेक व्यक्तियों को निकाला गया है, क्या मंत्री महोदय इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जायेंगे जिससे उनकी स्थिति सामान्य हो जाए ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल दो या तीन प्रश्नों की ही अनुमति दी थी।

श्री समर गुह : मुझे आश्चर्य है कि सरकार उगांडा या ब्रिटेन की राष्ट्रीयता प्राप्त भारत मूलक व्यक्तियों के बारे में शुतुरमुर्गी नीति क्यों अपना रही है यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है। इस मामले में केवल वहां बसे भारत मूलक व्यक्तियों का भाग्य ही निर्भर नहीं है अपितु एशियाई और अफ्रीकी लोगों के भावी सम्बन्ध भी निर्भर करते हैं। उगांडा के इस रूख से अफ्रीका के अन्य देशों पर भी कुप्रभाव पड़ सकता है। इस मामले को हल करने हेतु विदेश मन्त्री महोदय को वहां जाना चाहिए था।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : हमारे देश में आने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को यहां आने की अनुमति दी जानी चाहिए।

डा० एच० पी० शर्मा (अलवर) : 1972 में ब्रिटन ने ब्रिटिश पासपोर्ट धारियों के ब्रिटेन में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है जिसके परिणामस्वरूप अनेक ब्रिटिश पासपोर्ट धारी व्यक्ति भारत में आयेंगे और उन्हें यह छूट दी जायेगी कि या तो ब्रिटेन चले जाएं या भारत में ही रह सकते हैं। क्या मंत्री महोदय इस व्यक्तियों के बारे में कोई स्पष्ट वक्तव्य देंगे ?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन (मदुराई) : ऐसे अनेक व्यक्ति जिन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट लिया हुआ है, ब्रिटेन जाने के स्थान पर भारत आ रहे हैं। क्या इन व्यक्तियों को भारत में आने की अनुमति दी जाएगी ? क्योंकि इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है इसलिए इनकी सहायता के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्री प्रसन्न भाई मेहता (भावनगर) : कुछ भारत मूलक व्यक्तियों को उगांडा सरकार के सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें अनजान जगह पर ले जाया गया है। उनके परिवार के सदस्यों को उनका कुछ पता नहीं है। इस मामले को उगांडा सरकार के पास ले जाया जाना चाहिए, और उनका पता लगाया जाना चाहिए और उन्हें अपने देश में वापस लाना चाहिए।

श्री स्वर्ण सिंह : ब्रिटिश सरकार ने अपने इस उत्तरदायित्व को पहले ही स्वीकार कर लिया है कि ब्रिटिश पासपोर्ट धारक एशियाई मूलक व्यक्तियों की ब्रिटिश सरकार स्वीकार करेगी। ब्रिटिश सरकार के इस वक्तव्य से हमें संतोष है । इसके साथ यदि किसी स्थिति में अस्थाई पारगमन सुविधा देने में कोई कठिनाई आई हैं तो दोनों सरकारें इस मामले पर विचार करेंगी। इस घोषणा से समय के अभाव के कारण उन लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए दोनों सरकारों के बीच सम्पर्क स्थापित है। जहां हम मानवतावादी विचारधारा अपना सकते हैं. वहां हमारे लिए ऐसा रुख अपनाना ठीक नहीं होगा जिससे ब्रिटेन को अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा मिल सके।

एशियाई-मूलक लोगों के, जो उगांडा के नागरिक बन गये हैं, बारे में उगांडा सरकार की इस प्रथम घोषणा से, हमें बड़ा दुःख हुआ है कि उन्हें भी वहां से जाना पड़ेगा। हमें इस बात से कुछ राहत मिली है कि उनका यह मूल आदेश परिवर्तित कर दिया गया है और अब ये लोग वहां रह सकते हैं।

जिन व्यक्तियों की नागरिकता समाप्त कर दी गई है उनका भी एक वर्ग होता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून और परम्पराओं के अनुसार ऐसे लोगों की सुविधाओं के लिए उस देश की जिम्मेदारी होती है जिसमें वे रहते हैं। किन्तु किसी विशेष व्यक्तिगत मामले में हम अवश्य विचार करने को तैयार हैं। किन्तु हम ऐसी नीति की कभी घोषणा नहीं करेंगे जिससे कि अन्य देशों की जिम्मेदारी कम हो।

सुझाव दिया गया है कि उनके लिये गुजरात में एक शिविर बनाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में यदि समस्या की गंभीरता बढ़ी और ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो अवश्य ही ऐसे प्रबन्ध किए जायेंगे।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि इस मामले को राजनीतिक एवं मंत्री स्तर पर उठाया जाना चाहिए। इस बारे में मैंने यह मामला उगांडा के विदेश मंत्री से जार्जटाऊन में उठाया था उनसे इस समस्या पर चर्चा की थी। विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को वहां भेजने का यह उद्देश्य था कि विशिष्ट समस्या का समाधान वहां पर निकाला जाए और उन लोगों की परिसम्पत्तियों तथा उनकी सुरक्षा आदि का भी कोई हल निकाला जाए। अतः उस अधिकारी की यह यात्रा अत्यन्त सफल रही है जिसके सुपरिणाम निकले हैं। हम इस मामले का हल निकालने का पूरा प्रयास कर रहें हैं। संभव हुआ तो मैं इस महीने की 19 या 20 तारीख को उगांडा के विदेश मंत्री से संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भेंट करूंगा और इस मामले पर चर्चा करूंगा। अतः हम राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर इस समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं और हम संतोषजनक समाधान निकालने की ओर सर्वाधिक महत्व दे रहे हैं जिससे कि इन लोगों की कठिनाइयों एवं कष्टों को यथा संभव कम किया जा सके।

इन व्यक्तियों की संख्या के बारे में भी प्रश्न किया गया है । भारतीय पासपोर्ट धारियों की संख्या 4,500 है।

हम सामान्यतः यह सलाह देते रहे हैं कि विदेशों में रहने वाले भारत-मूलक लोगों को ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि उनके कार्यकलाप स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप हों। हमने उन्हें कभी यह परामर्श नहीं दिया है कि वे ब्रिटिश पासपोर्ट लें अथवा ब्रिटिश नागरिकता स्वीकार करे। इन लोगों ने अपने विवेक से ही ब्रिटिश पासपोर्ट और ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त करने का निर्णय किया था। किन्तु फिर भी यदि कोई मानवीय समस्या सामने आई तो हमे उसका समाधान करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

जहां तक इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने का सम्बन्ध है, इसमें कुछ कठिनाइयां और रुकावटें हैं। इस मामले को सम्बद्ध सरकार से हमको द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा निपटाना चाहिए और हम ऐसा ही करने की आशा करते हैं। दुर्भाग्य से ऐसे मामलों का निपटारा करने में संयुक्त राष्ट्र की क्षमता बहुत सीमित हैं। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए ही हम अपनी नीति निर्धारित कर सकते हैं। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि ऐसे मामले वहां उठाये नहीं जा सकते किन्तु फिर भी ऐसे मामलों के समाधान के लिए संतोष और धैर्य की नितान्त आवश्यकता होती है।

यह बात सच है कि उन लोगों को अपनी सम्पत्ति, विशेषकर चल सम्पत्ति लाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में उगांडा सरकार ने कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये हैं । इस समय यह प्रतिबन्ध लगाया हुआ है कि लगभग 9000 शिलिंग के मूल्य की व्यक्तिगत सम्पत्ति और 1000 शिलिंग नकद अपने साथ लाने की अनुमति है। हम अनुरोध कर रहें हैं कि इस सीमा में और अधिक उदारता बरती जाये।

जहां तक अचल सम्पत्ति का प्रश्न है, इस मामले को तो बाद में भी उठाया जा सकता है। किन्तु इस मामले में हमें कितनी सफलता मिलेगी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

यह भी कहा गया है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है । इस मामले में यदि कोई जानकारी हो तो हम उगांडा सरकार से बातचीत करने को तैयार हैं।

Smt. Sahodra Bai Rai (Sagar) : May I know whether those girls who have married Indians can be brought to India or not?

श्री स्वर्ण सिंह: उगांडा के लोगों ने उसी पर सबसे ज्यादा आपत्ति की है क्योंकि बहुत से भारतीयों ने वहां की लड़कियों से विवाह किये हुये हैं।

बामरे लारी एण्ड कम्पनी के शेयरों की खरीद के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य

STATEMENT BY MEMBER RE. PURCHASE OF SHARES OF BALMER LAWRIE AND CO.

श्री श्यामनन्दन मिश्र: बामर लारी एन्ड कम्पनी के शेयरों के क्रय पर सरकार ने अपने वक्तव्य में जो स्पष्टीकरण दिया है उसमें असंगतियों और परस्पर विरोधी धारणाओं को दूर नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार कारोबार के औचित्य के सम्बन्ध में शंकायें सुदृढ़ होती हैं।

(1) उदाहरण के लिये मैंने बताया था कि:

"मंत्री महोदय द्वारा 4 अगस्त, 1972 को दिये गये वक्तव्य के अनुसार डंकन ब्रदर्स ने बामर लारी के आई० बी० पी० की धारिता के शेयर 160 रुपये प्रति शेयर की दर पर खरीदने की पेशकश की थी। किन्तु मंत्री महोदय ने 18 अगस्त, 1972 को कहा था कि सरकार डंकन ब्रदर्स और गोयंका के ऐसे प्रयास के सामने नहीं झुकेगी, जिसके अनुसार उन्होंने हमसे अत्यधिक मूल्य पर शेयर प्राप्त करने के लिये शेयर मार्किट को गिराने का प्रयास किया है। ये दोनों दावे परस्पर विरोधी हैं।"

किन्तु अब सरकार कहती है:

"यदि शेयर मार्किट में गिरावट नहीं लाई गई होती तो बामर लारी के शेयर 160 रुपये प्रति शेयर की दर पर डकंन ब्रदर्स को बेचने के लिये कम प्रेरणा मिलती ; इस मूल्य पर डकंन ब्रदर्स ने बामर लारी के शेयर आई बी० पी० से खरीदने की पेशकश की थी।"

किन्तु प्रेरित करने का प्रश्न कहां उठता है जब कि मंत्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार सरकार राष्ट्रीय हित में स्वयं इसे अपने हाथ में लेने, न कि इसके शेयर बेचने, के लिये कृतसंकल्प है। दूसरे, यदि मार्किट गिर गई तो सरकार के कम मूल्यों का लाभ उठाकर बामर लारी पर पूर्ण नियंत्रण ग्रहण करने के लिये अधिक शेयर खरीदने चाहियें थे।

सरकार के विचार को स्वीकार करते हुये कि इस कम्पनी को अपने अधिकार में लेना अत्यावश्यक था तो डकंन ब्रदर्स द्वारा अधिक मूल्य की पेशकश करने और उसके पश्चात् मार्किट में गिरावट लाकर सरकार को ये शेयर बचने के लिए प्रेरित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) सरकार के स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मूल्य एक स्वतन्त्र प्राधिकार द्वारा निश्चित किये जाते हैं। इस संसद् के प्रति मंत्रालय जिम्मेदार है न कि कोई स्वतन्त्र प्राधिकार। मंत्रालय किसी अन्य प्राधिकार के नाम पर इस अत्यधिक मूल्य को स्वीकार कर अपने उत्तरदायित्व से बचने का प्रयास कर रहा है। इस प्राधिकार की शिनाख्त क्या है और इसने इस विशेष मामले में विचित्र सिद्धान्त और विशिष्ट मापदन्ड क्यों अपनाये हैं? मंत्रालय को इस मूल्य का भुगतान करने के उत्तरदायित्व से भागना नहीं चाहिये।

(3) दो कम्पनियों के एक समान शेयरों के लिये दो प्रकार के भिन्न मूल्यों का भुगतान करने के सम्बन्ध में मंत्रालय द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण किसी तर्क पर पूरा नहीं उतरता है। यदि जैसा कि स्पष्टीकरण में बताया गया है एलैक्स लारी के डंकन के साथ इतने अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध हैं कि सरकार को इन दोनों कम्पनियों के शेयर खरीदने के लिये जोर दिया जाये तो एलैक्स लारी भी सरकार के दोनों कम्पनियों के शेयरों के लिये एक समान मूल्य देने के लिये कह सकती है। यह तथ्य कि एलैक्स लारी को कम मूल्य मिला है तो वह इन दो कारणों से है कि (एक) एलैक्स लारी और डंकन के बीच कोई ऐसा समझौता हो गया है जिसके अनुसार डंकन को प्राप्त होने वाले अधिक मूल्यों में दोनों का हिस्सा था अथवा (दो) सरकार ने दो विभिन्न मूल्यों में से कम मूल्य पर शेयर खरीदने के लिये डंकन पर वह दबाव अथवा प्रणाली लागू नहीं की थी जो एलैक्स लारी पर लागू की गई थी ; और यदि यह बात है तो सरकार द्वारा डंकन पर वह दबाब डालने में क्या बाधा है जो उन्होंने 85 रुपये प्रति शेयर की दर से जोकि बाजार मूल्य से काफी अधिक है शेयर प्राप्त करने के लिये एलैक्स लारी पर डाला है। इसके अतिरिक्त इन दो मूल्यों के भुगतान का मामला सरकार के इस दावे के अनुरूप नहीं है कि इसके "स्वतन्त्र प्राधिकारियों" ने वास्तविक मूल्य 95 रुपये निर्धारित किये थे। यदि वास्तविक मूल्य 95 रुपये है तो एलैक्स लारी के शेयरों पर भी यही कसौटी लागू न करने के क्या कारण हैं? एक को न्याय दिये जायें और दूसरे को इस न्याय से वंचित रखने के क्या कारण हैं?

(4) मैंने यह कहा था :

"सरकार ने इस आरोप का उत्तर नहीं दिया है कि गोयनका ने इस मामले को गुप्त रखने के पश्चात् भी शेयर मार्किट का मूल्य 95 रुपये तक बढ़ाने के लिये छल कपट किया गया था। सौदा तय होते ही सरकार को एक अध्यादेश जारी करना चाहिये था जिससे कि गोयंका को शेयर मार्किट का भाव बढ़ाने का अवसर ही न मिलता।"

किन्तु सरकार का कहना है कि शेयर वास्तविक मूल्य पर खरीदे गये थे।

इसके अतिरिक्त :

"इस कम्पनी की प्रबन्ध व्यवस्था को अपने हाथों में लेने के लिये अध्यादेश जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता था क्योंकि अप्रैल 1970 से कम से कम सरकार और/अथवा आई० वी० पी० द्वारा मनोनीत किये गये 2 व्यक्ति बामर लारी के निदेशक मंडल में निर्देशकों के रूप में कार्य कर रहे थे। किन्तु सरकार के दो प्रतिनिधियों की उपस्थिति के सरकार द्वारा किसी कम्पनी को अपने हाथों में लेने का आभास नहीं होता है।"

यह सौदा 7 जून जब कम्पनी औपचारिक रूप से सरकार के हाथों चली गई थी, से बहुत पहले ही हो गया था। सरकार के अपने स्पष्टीकरण में बताया गया है कि इससे पहले जब कि शेयरों के मूल्य अप्रैल मई और जून में बढ़े थे और उसके पश्चात् गिर गये थे। इससे यह प्रतीत होता है कि अन्तरिक समय में शेयर मार्किट में सौदे बाजी तय करने में डंकन को किस प्रकार का अवसर दिया गया था।

(5) सरकार ने तर्क दिया है कि चूंकि सरकार के दो सदस्य बामर लारी के निदेशक मण्डल में थे इसलिये इस कम्पनी को तुरन्त अपने अधिकार में लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। किन्तु सरकार के दो नामित व्यक्तियों की उपस्थिति से सरकार द्वारा किसी कम्पनी को अपने हाथों में लेने का आभास नहीं होता है।

(6) इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा वास्तविक मूल्य पर जोर दिया जाना सरकार की अपनी नीति के ही विरुद्ध है। सरकार ने निजी सम्पत्ति अर्जित करने हेतु "धनराशि" का भुगतान करने के लिये संविधान में भी संशोधन किया गया है। इसलिये "वास्तविक मूल्य" का तर्क क्यों दिया जाता है? क्या यह नीति में परिवर्तन करना नहीं है? सरकार ने सार्वजनिक हित में सम्पति अर्जित करने के लिये कितने मामलों में "वास्तविक मूल्य" का भुगतान किया है अथवा भुगतान करने का प्रस्ताव दिया है?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री ने मेरे पत्र के उत्तर में 1971 के लिये कम्पनी के लाभ अथवा हानि के बारे में नहीं बताया है। कम्पनी को वास्तव में 25 लाख की हानि हुई है। दूसरे जीवन बीमा निगम तथा भारत-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी के पास इतने शेयर हैं कि वे इस कम्पनी को अपने नियंत्रण में ले सकती है।

अध्यक्ष महोदय : श्री श्यामनन्दन मिश्र ने माननीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में कुछ सन्देह व्यक्त किया था। अब माननीय मंत्री इस बारे में एक वक्तव्य देंगे। यह मामला माननीय सदस्य तथा माननीय मंत्री के बीच है।

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): मैंने समझा था कि गत आधे घंटे के बहस में जो वास्तव में एक घंटे तक चली माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का पर्याप्त रूप में उत्तर दे दिया गया था। तदनन्तर मेरे सहयोगी श्री के० आर० गणेश; ने अनुपूरक मागों पर बोलते हुये स्थिति को और पूर्णातिया स्पष्ट कर दिया था।

2. माननीय सदस्य श्री मिश्रा द्वारा पूछे गये प्रथम प्रश्न के सम्बन्ध में यह सत्य है कि डंकन ने आई० बी० पी० द्वारा बामर लारी के लिये गये शेयरों को 160 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदने की पेशकश की थी। स्पष्टतः एक शेयर के बाजार—निवेदित दर (मार्किट कोटेशन) तथा उनकी खरीद के लिये पेश की गई मूल्य दर के बीच बड़े अन्तर से शेयर होल्डरों को बड़ी राशि पर उनको बेचने के लिये प्रेरणा देगा। किन्तु डंकन ब्रदर्स की आकर्षण मूलक पेशकश हमें अपने उद्देश्य से विचलित न कर सकी। हम इन शेयरों को इसलिये खरीदना चाहते हैं जिससे सरकारी क्षेत्र अधिक दृढ़ बन सके। इसलिये मेरे पहले वक्तव्य में किसी प्रकार का विरोधाभास अथवा असंगति नहीं है।

3. विषय का मूल प्रश्न वास्तव में यह है कि इन शेयरों की मार्किट कोटेशन की कम दर बामर लारी ग्रुप पर नियंत्रण करने के लिये कहां तक लाभदायक हो सकी। यद्यपि अपने पूर्व वक्तव्य में मैंने इस विषय पर पूर्णतया प्रकाश डाला है परन्तु ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य इससे पूर्णतय सहमत नहीं हैं। इसलिये मैं तथ्यों को पुन: कहता हूं। यदि विवेचन के लिये यह मान लिया जाता है कि कुछ 953 शेयर होल्डरों द्वारा रखे गये 28,474 शेयरों को आई० बी० पी० खरीद सकती थी किन्तु इस प्रकार की खरीद भी बामर लारी ग्रुप पर पूर्णतया नियंत्रण रखने में असफल होती। यदि आई० बी० पी० इन शेयरों को प्राप्त करने में सफल हो जाता तो बामर लारी में इसकी होल्डिंग (शेयर पूंजी) 30.1% से 49.86% बढ़ जाती तथा इसे नियंत्रण अधिकार के लिये नहीं कहा जा सकता। इसका तात्पर्य यह नहीं था कि आई० बी० पी० एवं सरकार को बाजार में चल रहें कम मूल्यों पर शेयरों की खरीदने की सम्भावना का पता नहीं था। इस पर सतकर्ता पूर्व विचार किया गया किन्तु इनको अस्वीकार करना पड़ा क्योंकि पहले-पहल यदि आई० बी० पी० इन शेयरों की खरीद के सम्बन्ध में बाजार में पहुंचती तो निसंदेह उनकी कीमतें कम हो जाती। ऐसा प्राय: निरुपवाद रूप से किसी भी शेयर के लिये हो जाता है। जैसे ही एक बड़ा खरीदकर्ता एक विशेष कम्पनी में अपने शेयरों में वृद्धि

करने के सम्बन्ध में रुचि दिखाता है वैसे ही इन शेयरों के लिये मार्किट कोटेशन की दर बढ़ती जाती है। इसलिये यह बिल्कुल निश्चय ही है कि आई० बी० पी० को इन शेयरों के लिये उस मूल्य की जिस मूल्य पर इसे डंकन ब्रदर्स एवं एलेक्स लारी से उन शेयरों की खरीद के द्वारा अन्तिम रूप से नियंत्रण प्राप्त हुआ, तुलना में बहुत अधिक मूल्य का भुगतान करना पड़ता। दूसरा और अभिभावी विचार यह था कि इस प्रणाली के अपनाने से, आई बी० पी० को बिना 50% नियंत्रण प्राप्त किये अपने निवेश को बढ़ाने में केवल विफलता प्राप्त होती। वास्तव में यह तब तक नियंत्रण प्राप्त नहीं कर सकती थी जब तक यह डंकन ब्रदर्स एवं/अथवा एलेक्स लारी से शेयरों की खरीद नहीं करती। वास्तव में यह आशा करना निरर्थक था कि आई० बी० पी० लोगों से सभी 28,474 शेयरों को खरीदने में सफल हुई होती। यह इस तथ्य से स्पष्ट होना चाहिये कि 1972 के पहले 6 महीनों में (अर्थात् 1 जनवरी से 30 जून, 1972 तक) बामर लारी के केवल 1,010 शेयर कई व्यक्तियों द्वारा खरीदे गये। इस तथ्य के बावजूद कि अप्रैल, 1972 के शुरू में प्रति शेयर का मूल्य 94 रुपये था तथा जून, 1972 के पहले कुछ दिनों तक यह मूल्य उसी स्तर पर रहा किन्तु बहुत कम अंशधारियों (शेयर-होल्डर्स) ने इस बड़े मूल्य का लाभ उठाया तथा इस अवधि में केवल 148 शेयर कई व्यक्तियों के हाथों में आये।

4. जब पहले मैंने स्वतन्त्र प्राधिकारियों द्वारा मूल्य के निर्धारण के बारे में ज़िकर किया था उस समय ऐसा कोई सुझाव नहीं था कि हम ने अपनी ओर से इस मामले में कोई जांच-पड़ताल नहीं की थी। मैंने बताया था कि शेयरों का मूल्यांक केवल मंत्रालय द्वारा ही नहीं किया गया था बल्कि अन्य एजेन्सियों द्वारा भी स्वतन्त्र रूप से किया गया था। केवल इसके पश्चात् ही इस मामले में अन्तिम निर्णय लिया गया था। भारतीय तेल निगम, समवाय-कार्य विभाग, आर्थिक कार्य-विभाग और यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया द्वारा स्वतन्त्र मूल्यांकन किया गया था। शेयरों के मूल्यांकन करने के लिये इस विशेष केस में अपनाई गई पद्धतियों एवं सिद्धान्तों में कोई खास विशेषता नहीं थी। इन एजेन्सियों ने आई० बी० पी० के शेयरों को ठीक तौर पर उन सिद्धान्तों पर जिनके अनुसार भारतीय तेल निगम ने अमरीका के स्टील ब्रदर्स से आई० बी० पी० के शेयरों को खरीदा था मूल्यांक किया था। यह पद्धति कई अन्य मामलों में भी अपनाई गई थी। संक्षेप तौर पर मूल्यांकन निम्न पद्धति के अनुसार किया गया था :—

(1) प्रथम, परिसम्पति के लेखा-बहियों में दर्ज-शुदा मूल्य के आधार पर। परिसम्पत्ति की लेखा-बही में दर्ज-शुदा मूल्य इस समय उनके बाजार-मूल्य की तुलना में बहुत कम है।

(2) द्वितीय शेयरों के मार्किट निविदा के आधार पर।

मैंने पहले ही बताया था कि इस केस में मूल्यांकन करते समय उस समय प्रचलित अधिक मूल्य को प्राप्त करने में ध्यान नहीं दिया गया था बल्कि केवल न्यून मूल्य 68 रुपये को स्वीकार किया गया था। असमान्य ब्यौरे, यदि कोई हो, का ध्यान करने के पश्चात् गत तीन वर्षों में कम्पनी की औसत उत्पादन (आय) क्षमता पर परिकल्पित शेयर मूल्य तीसरा तथ्य है।

इन तीन तथ्यों जिनके आधार पर मूल्य का निर्धारण हुआ तथा जिसे हम अदा करने के लिये सहमत हुये, का सार है।

5. जब मैंने बामर लारी की परिसम्पत्ति के शुद्ध मूल्य का उल्लेख किया था, इसे विस्तार से कहना आवश्यक था कि तय किये गये मूल्य पर शेयरों के क्रय द्वारा आई० बी० पी० एक अच्छा व्यापार करने की स्थिति में थी। मेरे द्वारा ऐसा कोई सुझाव नही दिया गया था कि परिसम्पत्ति का वर्तमान शुद्ध मूल्य

शेयरों के मूल्य निर्धारण के लिये अपनाया गया था। मैंने स्पष्ट किया था कि शेयर के मूल्य निर्धारण के लिये परिसम्पति के बही खातों में दर्ज किये गये मूल्य को ध्यान में रखा गया था।

6. डंकन ब्रदर्स एंव एलैक्स लारी से बामर लारी द्वारा खरीदे गये शेयरों के मूल्य अन्तरों के बारे में अभी भी पूछा जा रहा है मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि हम दो पार्टियों, जिनके अलग-अलग उद्देश्य है, से पत्राचार कर रहे थे उनमें से जहां एक पार्टी बामर लारी पर पूर्ण नियंत्रण चाहती थी वहां दूसरी पार्टी इससे वंचित रहना चाहती थी। यह इस कारण से है कि एलैक्स लारी के साथ किये गये विचार विमर्श के परिणामस्वरूप मूल्यों में कमी करने पर सफलता मिली अंततः वे अपने शेयर पूंजी को 85 रुपये प्रति शेयर की दर पर बेचने पर सहमत हुये।

7. माननीय सदस्य महोदय ने बताया कि जैसे ही कार्य "रेप्ड" हुआ था (जिससे उनका तात्पर्य यह है कि बातचीत पूरी हुई थी) उसी समय ही सरकार को एक अध्यादेश जारी कर देना चाहिये ताकि इन शेयरों का मार्किट मूल्य न घट बढ़ सके: मुझे ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा उठाये गये मुख्य प्रश्न को छोड़ दिया गया है। मूल्य के सम्बन्ध में बातचीत के पूर्ण होने से पहले ही मार्किट कोटेशन 94 रुपये प्रति शेयर थी। किन्तु मैंने बार-बार स्पष्ट किया है कि मार्किट कोटेशन में वृद्धि पर ध्यान नहीं दिया गया है तथा इन शेयरों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में प्रति शेयर 68 रुपये मूल्य को ही ध्यान में रखा गया था। इसलिए इस स्थिति में अध्यादेश जारी करने का कुछ लाभ नहीं होना था। किसी भी स्थिति में यह उद्देश्य था कि बामर लारी कम्पनी पर नियंत्रण किया जाये। जिसको आई० बी० पी० द्वारा डंकन ब्रदर्स एवं एलेक्स लारी के शेयरों को अर्जित करने से किया जा सकता था एवं किया गया था। आई० बी० पी० ने 30 प्रतिशत शेयर लिये तथा अन्य प्राइवेट शेयर-होल्डरों ने 19 प्रतिशत शेयर। सरकार को इन शेयरों को लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री श्यामनन्दन मिश्र: मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है माननीय मंत्री के वक्तव्य से सन्देह और भी बढ़ गया है कि यह सौदा लोक हित में नहीं हुआ है। आपसे अनुरोध है कि आप अगले सत्र में इस पर चर्चा करने की अनुमति दें।

श्री ज्योतिर्मय बसु: मेरा अनुरोध है कि आप इस मामले को लोक लेखा समिति को सौंप दे।

अध्यक्ष महोदय: मैं ऐसा नहीं कर सकता। माननीय सदस्य ने एक वक्तव्य दिया था और उसके उत्तर में माननीय मंत्री ने अपना वक्तव्य दे दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु: यह एक बहुत गम्भीर मामला हैं। इसको लोक लेखा समिति को भेज दिया जाए।

श्री श्यामनन्दन मिश्र: क्या मंत्री महोदय जनता को संतुष्ट करने के लिये तथा शंका को दूर करने के लिये इस मामले को लेखा समिति को भेजने को तैयार है?

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा): माननीय सदस्य को प्रक्रिया के बारे में पता नहीं है, अध्यक्ष तथा मंत्री महोदय के लिये हम मामले को लोक लेखा समिति के पास भेजना आवश्यक नहीं है।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): वक्तव्य सुनने के बाद भी अनेक गलतफहमियां मन में रह जाती हैं। अतः मैं भी अनुरोध करूंगा कि इस मामले को लोक लेखा समिति को भेज दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अन्तर्गत ऐसा करने के लिये मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। इस मामले को निर्देश 115 के अन्तर्गत उठाया गया है।

श्री राम सहाय पांडे (राजनन्दगांव) : आप सभा की अनुमति से हर मामले को लोक लेखा समिति को भेज सकते हैं।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस मामले को लोक लेखा समिति को सौंपा जाये।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नहीं कर सकते।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि श्रीस्टीफन विशेषाधिकार का प्रश्न स्वतः उठा सकते हैं और उसको कार्यसूची में शामिल किया जा सकता है तो इस को सदन में उठाने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती।

अध्यक्ष महोदय : दोनों वक्तव्य सदन के समक्ष है। यदि नियमित रूप से कोई लिखित प्रस्ताव दिया जाता है तो मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं पांच मिनट में लिखित रूप में एक प्रस्ताव दूंगा।

श्री पीलू मोदी : प्रक्रिया में यह दिया गया कि कोई भी सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं और सरकार को उनका उत्तर देना होता है यदि प्रश्नों का ठीक उत्तर नहीं दिया जाता तो आप हमें संरक्षण देते हैं और ठीक उत्तर दिलवाते हैं। इस मामले में भी माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछे थे तो माननीय मंत्री ने उनका उत्तर नहीं दिया। आपके अतिरिक्त हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय : मैंने एक विशिष्ट निर्देश के अन्तर्गत इसको उठाने की अनुमति दी थी। अब दोनों में ठीक कौन है मैं इसका निर्णय नहीं कर सकता।

श्री पीलू मोदी : माननीय सदस्य ने बाजार भाव के बारे में एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था परन्तु माननीय मंत्री ने कुछ अन्य ही बातें बताई हैं। हम इनका निरनुमोदन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री के उत्तर के पश्चात् भी माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं तो मैं नहीं जानता कि अगला कदम क्या होना चाहिये। माननीय सदस्य इस मामले को किसी अन्य विषय के अन्तर्गत उठा सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसको नियम 342 के अन्तर्गत उठाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यह नियम यहां पर लागू नहीं होता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने एक प्रस्ताव लिखित रूप में दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय देने से पूर्व इसका अध्ययन करूंगा।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) **:** When you are going to give your ruling. Today is the last day of the Session.

अध्यक्ष महोदय : यदि एक बार ऐसे मामले को लोक लेखा समिति को सौंप दिया जाता है तो फिर यह पूर्वोदाहरण बन जायेगा। तो हमें देखना होगा कि यह कहां तक वांछनीय है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमें पूरा विश्वास है कि सरकार श्री आर० पी० गोयनका को 67 लाख के भुगतान के बारे में उचित उत्तर देने में असफल रही है (**अन्तर्बाधाएं**) ।

श्री बिक्रम चन्द महाजन : इन टिप्पणियों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप समझते हैं कि सरकार गलती पर है तो आप को सरकार के विरुद्ध कोई मूल प्रस्ताव लाना चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अब इसके लिए समय नहीं है। मैंने एक प्रस्ताव दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय । मैं इसकी जांच करूंगा।

प्रत्यक्ष कर जांच समिति के अन्तिम प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. FINAL REPORT OF DIRECT TAXES ENQUIRY COMMITTEE

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : समिति ने 300 से अधिक सिफारिशें की है। अतः मैं केवल अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में ही बोलूंगा।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे तक के लिये स्थगित हुई।
The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बज कर चार मिनट पर पुनः समवेत हुई
The Lok Sabha reassembled at four minutes past Fourteen of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair.*]

श्री सुरेन्द्र महन्ती : मैं कह रहा था कि मैं विमुद्रीकरण नकदी पर अधिकतम सीमा, अचल सम्पत्ति का अर्जन आदि के बारे में कुछ बातें कहूंगा। सरकार ने केवल अन्तिम सिफारिश अर्थात अचल सम्पत्ति के अर्जन सबन्धी सिफारिश को ही क्रियान्वित किया ह। परन्तु सरकार ने नकदी रखने तथा विमुद्रीकरण संबन्धी सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है। इसके कारण स्पष्ट हैं। स्वयं समिति ने विमुद्रीकरण के बारे में अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ 9 पर संदेह व्यक्त किया है। उनका कहना है कि देश में काले धन की रोकथाम के लिए उचित वातावरण नहीं है। क्या मैं वित्त मंत्री से जान सकता हूं कि काले धन को समाप्त करने के लिए वातावरण उचित क्यों नहीं है। मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि उसने शक्ति में बने रहने के कारण विमुद्रीकरण नहीं किया है क्योंकि ऐसा वह केवल काले धन से ही कर सकती है। मंत्रियों को डर है कि उन्होंने जो धन जमा कर रखा है विमुद्रीकरण से वह सब निकल जायेगा अन्तिम प्रतिवेदन में काले धन की रोकथाम पर अधिक जोर दिया गया है। अन्तिम प्रतिवेदन में कहा गया है कि समिति ने काले धन का पता लगाने तथा करअपवंचन को रोकने के लिए कुछ उपाय करने का सुझाव दिया था। समिति ने सिफारिश की थी कि दस रुपये के नोट तथा इसके ऊपर के सभी नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया जाय। जांच समिति के अनुमान के अनुसार देश में लगभग 7,000

करोड़ रुपये का काला धन है। 1956 में डा० कालडोर ने यह अनुमान लगाया था कि देश में लगभग 200 से 300 करोड़ रुपये का कर अपवंचन होता है। इसी आधार पर जांच समिति इस निर्णय पर पहुंची है कि देश में 7,000 करोड़ रुपये का काला धन है। इससे हमारी अर्थ व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे नकली कमी उत्पन्न होती है। सौदों को छुपाया जाता है काले धन के कारण सट्टे में वृद्धि होती है और इसी प्रकार मूल्य बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की भी चोरी होती है क्योंकि काले धन से अवैध सौदे किये जाते है।

काले धन से उपभोग में अन्धाधुन्ध वृद्धि होती है। काले धन के कारण ही मुद्रास्फीति बढ़ती है, मूल्यों में वृद्धि होती है और सट्टा व्यापार को बढ़ावा मिलता है। काले धन से सोने का बहुत बड़े पैमाने पर तस्कर व्यापार किया जा रहा है। काला धन चोरी-छिपे रूप से विकसित देशों में भेजा जाता है जबकि भारत के पास संसाधनों की कमी है और उसे विदेशी मुद्रा और अन्य देशों से सहायता की आवश्यकता हर समय बनी रहती है। काले धन का एक दोष यह भी है कि उससे सरकार की चयनात्मक आर्थिक नियंत्रण की नीति असफल होती है। काले धन की समस्या एक आर्थिक समस्या है जिससे देश की समृद्धि और प्रगति का प्रश्न जुड़ा हुआ है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि काले धन के जो दोष मैंने बताये हैं, उन्हें दूर करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है यदि बड़े नोटों का विमुद्रीकरण नहीं करना चाहती।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर): मैं उक्त प्रतिवेदन की उन सिफारिशों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा जो कर-अपवंचन और काले धन के बारे में है। आज तक काले धन के बारे में जो अध्ययन किया गया है वह ठोस आधार पर नहीं किया गया था। किन्तु पहली बार मनोवैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया गया है और इस प्रतिवेदन में बताया गया है कि 1968-69 में 470 करोड़ रुपये के आयकर का अपवंचन किया गया और यह अनुमान लगाया गया है कि काले धन की राशि 7,000 करोड़ रुपये है। इस प्रतिवेदन में यह भी बताया गया है कि किन कारणों से कर-अपवंचन होता और काला धन एकत्र होता है। प्रत्यक्ष करों की उच्च दर, अभावग्रस्त अर्थव्यवस्था, जिसमें नियत्रंण और लाइसेंस पद्धति लागू है, राजनीतिक दलों को चन्दा, कदाचार पूर्ण व्यापार प्रक्रियाए, विक्रय-कर तथा अन्य उपकरों की उच्च दर, कर सम्बन्धी कानूनों का ठीक क्रियान्वयन न किया जाना और जन-जीवन में नैतिक स्तर का गिरना आदि प्रमुख कारण हैं जो कर-अपवंचन और काले धन को प्रोत्साहन देते हैं। मैं इनमें से एक का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। गत चुनाव में शासक कांग्रेस दल ने विभिन्न उद्योग-गृहों से लगभग 25 लाख रुपये चन्दे के रूप में लिए। एशियन केबिल्स को 1000 टन पोलिथिन का लाइसेंस दिया गया जो चोर बाजार में बिका। इस प्रकार के गुप्त सौदों से काला धन हमेशा बढ़ता है।

प्रतिवेदन में तीन सुझाव दिये गये हैं—विमुद्रीकरण करना, नकदी की अधिकतम सीमा बांधना और अचल सम्पत्ति की खरीद को कम मूल्य में दिखाये जाने पर उसे सरकारी नियंत्रण में लिया जाना। यह कहना भी ठीक नहीं है कि विमुद्रीकरण से वांछित लाभ नहीं होते। उदाहरण के लिए बेल्जियम को लिया जा सकता है। वहां पर 1944 में किया गया विमुद्रीकरण का प्रयोग सफल रहा था। यह भी कहा जा रहा है कि भारत में 1946 में किया गया विमुद्रीकरण का प्रयोग पूर्णतः असफल रहा था; अब देखना यह है कि किन कारणों से यह असफल रहा था। उस समय विमुद्रीकरण के असफल रहने का प्रमुख कारण यह था कि 1235·93 करोड़ रुपये के नोटों में से केवल 143.97 करोड़ रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। 100 रुपये और 10 रुपये के नोटों को जिनका प्रतिशत क्रमशः

41.2 और 35.2 था, छुआ तक नहीं गया था। इस ढंग से किया गया विमुद्रीकरण भविष्य में भी असफल रहेगा। यदि विमुद्रीकरण को सफल बनाना है तो साथ ही कुछ अन्य उपाय भी करने होंगे। कर वसूली की व्यवस्था में सुधार करना होगा। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को समाप्त करना होगा। उद्योगपतियों को लाईसेंस लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है तथा अन्य खर्च करने पड़ते हैं। वे इसी के अनुसार अपने उत्पादों का मूल्य निर्धारित करते हैं और तदनुरूप लाभ कमाते हैं।

अन्त में, मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि भारत में हो रहे विकास कार्य को ध्यान में रखते हुए करों की बकाया राशि को वसूल किया जाना चाहिए अतः वांचू समिति की सिफारिशों को मानकर कर वसूली की व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए ताकि कर की कुल राशि वसूल की जा सके और श्रमिकों और खेतीहर मजदूरों की मांगे स्वीकार की जा सकें।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री० के० आर० गणेश) : श्रीमान, जिन सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है और वांचू समिति के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं उनका में आभार प्रकट करता हूं। जब से वांचू समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ है तब से सरकार उस पर लोक मत जानने का प्रयास कर रही है। देश के विद्वान अर्थशास्त्रियों की एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई जिसमें उन्होने वांचू समिति में की गई सिफारिशों के बारे में विचार व्यक्त किये थे। वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की पांचवी और छटी बैठकों में वांचू समिति की सिफारिशों पर चर्चा की गई थी। चारटर्ड अकान्टेंटस, चैम्बर्स आफ कामर्स जैसे ग़ैर सरकारी संगठनों में विचार गोष्ठियों हुई थी। उन सबके विचार सरकार को मिल गये है और अब संसद के दोनों सदनों में व्यक्त किये गये विचार और सुझाव भी सरकार के सामने है इनसे सरकार को वांचू समिति की सिफारिशों के बारे में निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

वांचू समिति का अन्तिम प्रतिवेदन 24 दिसम्बर, 1971 को प्रस्तुत किया गया था। उसकी कुछ सिफारिशों को पहले ही क्रियान्वित किया जा चुका है। धर्मार्थ या धार्मिक न्यासों की आय और सम्पदा पर दी जाने वाली छूट भी समाप्त कर गई है। केन्द्रीय सरकार को विदेशी सरकारों के साथ कर समझौते करने का अधिकार दे दिया गया है। लाटरी के टिकटों और अन्य माध्यमों से होने वाली आय पर कर लगा दिया गया है। प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों और सहकारी समितियों से प्राप्त लाभांशों पर जो छूट दी जाती थी वह समाप्त कर दी गई है। वांचू समिति में कुल 396 सिफारिशें की गई है। यदि इन सबको स्वीकार कर लिया जाता है तो उनमें से 213 के सम्बन्ध में कानून बनाने होंगे। वांचू समिति की सिफारिशों के अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग बना दिया गया है। इस विभाग से तत्सम्बन्धी निष्कर्ष अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों को भेजी जाती हैं। बाद में विधि मंत्रालय उस सम्बन्ध में विधान बनाने के बारे में विचार करता है। जिनके बारे में कानून बनाना अनिवार्य होगा, उनके सम्बन्ध में व्यापक विधेयक लाये जायेंगे साथ ही देश को विद्यमान आर्थिक, सामाजिक दशा के अनुरूप अन्य परिवर्तन भी किये जायेंगे।

वांचू समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं। आयकर अधिकारियों की तलाशी लेने की शक्ति को दृढ़ता से प्रयोग में लाया जाय। ऐसे नियंत्रणों पर पुनर्विचार किया जाये जिनसे भ्रष्टाचार और काला धन बढ़ता है। छोटे करदाताओं में विश्वास पैदा किया जाय यह भी सिफारिश की गई है कि कर-अपवंचन करने वाले को कड़ा दण्ड दिया जाये, जिससे कर अपवंचन के प्रति भय पैदा किया जा सके। काले धन को रक्षण प्रदान करने वाली कृषि आय की समस्या इस समय के० एन० राज समिति

के समक्ष है। यह भी सुझाया गया है कि कर-अपवचंकों को बैंकों से ऋण न दिया जाये। कर-अपवचंन के विरोध में जन चेतना पैदा की जाये। कर से बच निकलने और कर की बकाया राशि की वसूली के बारे में भी विभिन्न सिफारिशें की गई हैं। कर-वसूली के सम्बन्ध में यह सिफारिश भी की गई है कि एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की जाये जो बकाया कर को बट्टे खाते डालने के मामलों पर शीघ्र निर्णय करे। प्रत्यक्ष कर बोर्ड का दर्जा बढ़ाने की सिफारिश भी की गई है। आयकर विभाग के कार्यकरण के सम्बन्ध में भी कई सिफारिशें की गई हैं। ये कुछ प्रमुख सिफारिशें हैं, जिन पर सरकार शीघ्र ही निर्णय करेगी।

इस बात में कोई संदेह नहीं कि काला धन हमारी अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन में तबाही मचा रहा है। धन की मात्रा के सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है लेकिन उसके अस्तित्व के बारे में नहीं है।

वांचू समिति ने ही उल्लेख किया है कि वर्ष 1968-69 में काला धन 7,000 करोड़ रुपये से कम नहीं होगा। इसके आधार पर वर्ष 1968-69 में लगभग 470 करोड़ रुपये का कर अपवंचन किया गया।

जब तक काले धन की मात्रा के बारे में हमारे उचित अनुमान नहीं होंगे तब तक इस समस्या का हल करना कठिन होगा। काले धन का आरम्भ कांग्रेस शासन काल से ही नहीं हुआ है इसका आरम्भ दूसरे विश्व युद्ध से हो गया था। उस समय निर्माण कार्य में वृद्धि हुई थी और वस्तुओं की कमी का अनुमान लगाकर उनकी जमाखोरी की जाने लगी थी। अब यह एक प्रक्रिया सी बन गयी है। वांचू समिति ने उचित ही कहा है कि प्रत्येक योजना और सुनियोजित विकास का दुरुपयोग होता है। समाज विरोधी तत्वों ने नियंत्रण के माध्यम से भी धन जमा कर लिया है।

काले धन की समस्या एक गम्भीर समस्या है और राष्ट्र के लिये यह चिन्ता का विषय है। लेकिन इसकी राजनीतिक दृष्टि से आलोचना नहीं की जानी चाहिये।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 376 के अन्तर्गत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री के० आर० गणेश : काले धन की समस्या इतनी गम्भीर हो चुकी है कि इसे सत्तारूढ़ दल की समस्या कह कर हल नहीं किया जा सकता। कांग्रेस दल ने, जो पिछले बीस वर्षों और इससे भी अधिक समय से सत्तारूढ़ दल रही हैं, मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध जांच आयोगों की नियुक्ति की थी मुझे कांग्रेस दल का संरक्षण इसलिये लेना पड़ रहा है क्योंकि यह आरोप लगाये जा रहे है कि कांग्रेस दल काले धन में रुचि रखता है इसलिये काले धन की समस्या को हल नहीं किया जा रहा है। अन्तरिम प्रतिवेदन में कुछ भी गोपनीय नहीं है। अन्तरिम प्रतिवेदन की सिफारिशों पर सरकार ने जो निर्णय लिये हैं, संभव है उनसे माननीय सदस्य सहमत न हों। सरकार यह बता चुकी है कि विमुद्रीकरण से काले धन की समस्या हल नहीं हो सकती। अतः सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार नहीं की है।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने प्रतिवेदन के लिये वांचू समिति की प्रशंसा करते हुए यह आरोप लगाया है कि यह प्रतिवेदन दबाव में आकर लिखा गया है। एक उच्चशक्ति प्राप्त समिति के विरुद्ध यह गम्भीर

ग्रौर गैर जिम्मेदार आरोप है। (**ग्रन्तंबाधाएं**) इससे ग्रधिक झूठी बात ग्रौर कोई नहीं हो सकती । यह प्रतिवेदन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की ग्रध्यक्षता में गम्भीरता से लिखा गया था।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने भी प्रतिवेदन की ग्रालोचना की है।

श्री के० ग्रार० गणेश : उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि प्रतिवेदन दबाव में ग्राकर लिखा गया है।

श्री पी० के० देव : मंत्री महोदय ने ग्रनेक प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह उनका उत्तर दे सकते हैं।

श्री के० ग्रार० गणेश : काले धन की समस्या बहुत गम्भीर ग्रौर व्यापक है। इसको हल करने के लिय समन्वित दृष्टिकोण की ग्रावश्यकता है। सरकार इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधान प्रस्तुत करने के लिये कृतसंकल्प है। जनता यह चाहती है कि हम ग्रपने वचनों का पालन करें। प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ऐसे विभिन्न उपाय किये हैं जिससे ग्रधिकतम राजस्व एकत्र किया जा सके। हम समय समय पर कर की वसूली के ग्रांकड़े सदन में देते रहे हैं।

कर–ग्रपवचंन ग्रौर कालेधन को पकड़ने के लिये विभिन्न कार्यवाहियां की गई हैं। बड़े व्यापारिक गृहों की जांच के लिये एक विभाग की स्थापना की गई है। इन समस्याग्रों को हल करने के लिये बोर्ड के पास पर्याप्त ग्रनुभव है।

कहीं भी छापे मारने से पहले हमारे पास पूरे तथ्य होने चाहियें इस सम्बन्ध में पक्षपातपूर्ण रूख नहीं ग्रपनाया जाना चाहिये। इस बारे में ग्रागामी सत्र में एक व्यापक विधान लाया जायेगा। विदेशी मुद्रा (संशोधन) विधेयक पहले ही पुरःस्थापित किया जा चुका है ग्रौर इसे प्रवर समिति को सौंपा गया है। केन्द्रीय कर विधि विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जायेगा।

यदि सरकार बकाया धनराशि ग्रौर ग्रनियमितताग्रों को रोकने में ग्रसफल रहती है तो वह न केवल ग्रपने दल के प्रति ग्रसफल रहती ग्रपितु देश की जनता के प्रति ग्रसफल रहती है जिसने हमें चुना है।

करों का ग्रपवंचन ग्रौर काला धन एकत्र करने वाले व्यक्ति बहुत बुजदिल हैं। यदि इनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये तो उसके बहुत ग्रच्छे परिणाम निकल सकते हैं।

इस बारे में विधि ग्रायोग की सिफारिशें बहुत उपयोगी हैं। उसने सिफारिश की है कि इन ग्रपराधों को सामाजिक ग्रौर ग्रार्थिक दृष्टि से दूर किया जाना चाहिये ग्रौर कुछ संवैधानिक उपबन्ध इन पर लागू नहीं किये जाने चाहियें। इस बुराई को दूर करने के लिये हम कृतसंकल्प हैं ग्रौर उसके लिये हम सभा के सब वर्गों का सहयोग चाहते हैं।

श्री ग्रार० एस० पाण्डे (राजनन्द गांव) : वांचू समिति ने 3,000 से 4,000 करोड़ रूपये का कालाधन होने की ग्राशंका व्यक्त की है। 1,000 करोड़ रुपये के ग्रन्तर की बात समझ में नहीं ग्राती। काले धन का यह ग्रनुमान किस ग्राधार पर लगाया गया है?

कानून बनाना ग्रासान है लेकिन उसको क्रियान्वित करना बहुत कठिन है। क्या माननीय मंत्री यह ग्राश्वासन दे सकते हैं कि काले धन को दूर करने के लिये उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया है जिसके ग्रनुसार वर्ष 1974 तक ग्रर्थात् ग्रब से दो वर्ष बाद देश में काला धन नहीं रहेगा।

अनेक सदस्य : बोलने के लिये उठते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब कभी अध्यक्ष पीठ सदस्यों को बोलने का अवसर देने का प्रयास करता है वह कठिनाई में पड़ जाता है। अब तीन या चार सदस्य बोलने के लिये खड़े हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : सरकार द्वारा काले धन को सफेद धन में न परिवर्तित करने के बारे में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री भगवत झा आजाद : माननीय मंत्री की यह टिप्पणी प्रंशसा योग्य है कि उन लोगों को साधारण अपराधी समझा जाना चाहिये। क्या वर्तमान कानून इन अपराधियों को पकड़ने के लिये पर्याप्त नहीं है। क्या सरकार का इसके लिये नया विधान लाने का विचार हैं अथवा सरकार इस मामले में लाचार है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : सरकार द्वारा इन अपराधियों के विरुद्ध शासन का उपयोग न करने के क्या कारण हैं ? सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : माननीय मंत्री द्वारा समय समय पर दिये गये वक्तव्यों से यह स्पष्ट है कि करों की बहुत बड़ी धनराशि बकाया है और इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में बहुत बड़ी सख्या में मामले विचाराधीन हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या कोई ऐसा तरीका निकाला जा रहा है जिससे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय कर सम्बन्धी मामलों में उच्च प्राथमिकता के आधार पर निर्णय करें ताकि अनावश्यक विलम्ब न हो और कर अपवंचन रोका जा सके ?

Shri B. P. Maurya (Hapur) : May I know whether black money has increased or decreased after the setting up of Wanchoo Commission?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : श्री बनर्जी के पहले प्रश्न के उत्तर में मैं यह कहना चाहता हूं कि वांचू समिति की सिफारिशों के अतिरिक्त भी कई ठोस कदम उठाये गये हैं। समुचय प्रत्यक्ष कर बोर्ड संगठन में सुधार किया गया है। अब कर वसूल करने का काम विभाग को सौंपा गया है न कि राज्य सरकार को, जैसा कि पहले था। जब्त करने और मुकदमा चलाने सम्बन्धी कार्यवाहियां तेज की गई हैं। इसी लिये बकाया राशि कम रह गई है।

31 मार्च, 1972 को अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत दायर की गई परन्तु अनिर्णीत पड़ी याचिकाओं की संख्या 3,067 थी और 1 अक्तूबर 1971 से 31 मार्च 1972 की अवधि में निपटाई गई याचिकाओं की सख्या 1514 थी।

जहां तक न्यायालयों में मुकदमों का सम्बन्ध है, हमारा अनुभव यह है कि न्यायालय इन अपराधों के सम्बन्ध में बहुत ही उदार रवैया अपनाते हैं। ऐसे मामलों में भी, जिनमें लाखों रूपये अन्तर्ग्रस्त है, लोगों को आसानी से छोड़ दिया जाता है।

सामाजिक अपराधों के साथ निपटने के लिये विधि आयोग की सिफारिशें जब सरकार द्वारा स्वीकार कर ली जायेगी तब स्थिति में काफी सुधार हो जायेगा और इन अपराधों के साथ कारगर ढंग से निपटा जा सकेगा।

यह कहना कठिन है कि वांचू समिति के बैठने के बाद कालाधन बढ़ा है या घटा है। मैं इतना कह सकता हूं कि कर वसूली में सुधार हुआ है, माल जब्त किया जाता है और मुकदमे भी चलाये जाते हैं। इसका काले धन और कर-अपवंचन पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं यह पूछना चाहता हूं कि यद्यपि श्री चव्हाण दिल्ली में ही हैं वह इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा के समय सभा में उपस्थित क्यों नहीं हैं ? वर्ष 1972 के चुनावों के बाद मंत्रिमडल के एक ग्रुप द्वारा विमुद्रीकरण लगभग स्वीकार कर लिया गया था और नये नोट छप गये थे परंतु प्रधान मंत्री की स्वीकृति न मिलने के कारण वे नोट किसी सुरक्षित स्थान पर रख दिये गये हैं। आज देश में केवल भ्रष्टाचार पनप रहा है। काला धन दिन प्रति दिन बढ़ रहा है। श्री गणेश ने दावा किया है कि सरकार ने अन्तरिम रिपोर्ट की जानकारी सभा को दी थी और यह भी बताया था कि उन्होंने विमुद्रीकरण न करने का निर्णय किया है। यह बात बिल्कुल झूठी है। वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री चव्हाण ने स्वीकार किया था कि अन्तरिम रिपोर्ट थी। अन्तिम रिपोर्ट की कई बातों की आलोचना की जा सकती है परन्तु अन्तरिम रिपोर्ट निश्चय ही सहायक सिद्ध हो सकती थी बशर्ते कि उसे 1½ वर्ष पूर्व क्रियान्वित किया जाता जब कि काले धन की काफी बड़ी राशि मुद्रा के रूप में और ऐसी वस्तुओं के रूप में थी जिनको पकड़ा जा सकता था।

श्री गणेश ने सभा को गुमराह किया है। उन्होंने कहा था कि कर वसूली के सम्बन्ध में कारगर कदम उठाये गये हैं। परन्तु रिजर्व बैंक के एक अध्ययन में लिखा है कि सामान्य जानकारी यह है कि नियमित क्षेत्र पर करों का बोझ बढ़ रहा है परन्तु वर्ष 1965-66 से 1970-71 तक के गत पांच वर्षों में करों के भुगतान से पहले लाभ से सम्बन्धित कर-उपबन्धों में निरन्तर कमी हुई है। इस सम्बन्ध में बड़ी बड़ी 290 सरकारी लिमिटेड कम्पनियों का अध्ययन किया गया है। उनके निष्कर्ष यह हैं कि निर्माण लागत और उत्पादन के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है परन्तु मजूरी में काफी कमी हो गई है। इस से पता चलता है कि वे अत्यधिक लाभ अर्जित कर रहे हैं परन्तु सरकार की कर वसूली कम हो रही है और श्रमिकों को मजूरी कम मिल रही है।

मंत्री महोदय ने कहा था कि तलाशियां ली गई हैं। 'इक्नामिक' एण्ड पोलिटिकल वीकली में लिखा है कि वर्ष 1968-69 में सफलतापूर्वक 79 तलाशियां ली गई थीं, 31 मुकदमें चलाये गये थे और 7 मामलों में अपराध सिद्ध हुए। वर्ष 1969-70 में सफलतापूर्वक 169 तलाशियां ली गई थीं, 27 मुकदमे चलाये गये और 169 मामलों में से 6 अपराध सिद्ध हुए।

यदि वांचू समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन की सिफारिशों को समय पर क्रियान्वित किया जाता तो उन्होंने देश की कुछ सेवा की होती। वस्तुस्थिति यह है कि शासक दल काले धन पर जिन्दा है। मैं फिर कहता हूं कि इस समस्या का हल केवल विमुद्रीकरण नहीं है। प्रोफेसर कलडोर ने सुझाव दिया था कि कराधान की स्वतः जांच करने वाली एक व्यापक प्रणाली और स्वचालित रिपोर्टिंग प्रणाली का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा था कि वह इनको प्रशासनिक दक्षता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण समझते है। फिर उनका कहना है कि समेकित कर प्रणाली से 100 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर मिल सकते हैं।

व्यय-कर को जिसे समाप्त कर दिया गया है, पुनः लागू किया जाना चाहिये। 'न्यासों' में बहुत कर-अपवंचन होता है। परन्तु इस सम्बन्ध में सरकार चुप है। श्री गणेश ने कहा था कि कर अपवंचन करने वाले लोगों को बैंकों से ऋण नहीं दिया जायेगा। मैं उनसे इस कथन की पुष्टि करवाना चाहता हूं कि क्या वह इससे सम्बन्धित सिफ़ारिश को क्रियान्वित करेंगे। काला धन विदेशी मुद्रा के रूप में विदेशों में जा रहा है। स्विटज़रलैण्ड में एक ओर सांकेतिक खातों में काला धन जमा होता है और दूसरी ओर विदेशी मुद्रा में श्वेत ओवरड्राफ्ट की अनुमति दी जाती है, आर०जी० शाह कम्पनी ने अपने अंश लन्दन स्थित डंकन ब्रदर्स को सौंप दिये हैं यह सब बातें 'ईकनामिक एण्ड पोलीटीकल वीकली' में लिखी हैं।

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

डा० वी० के० आर० वी० राव ने कहा था कि हम 10 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण नहीं कर सकते हैं। आश्चर्य है उन्होंने यह बात किस आधार पर कही थी। यदि सरकार 10 रुपये के नोट को नहीं छूती तो विमुद्रीकरण का कोई महत्व ही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि मुझे इससे सम्बन्धित रिपोर्ट के बारे में कुछ पता नहीं है। यद्यपि वह मंत्रिमण्डलीय स्तर के मंत्री थे तथापि उन्होंने ऐसी गैर-जिम्मेदारी की बात कही थी। उन्होंने ग्रामीण जनता के विषय में कहा था कि विमुद्रीकरण से उनको कठिनाई होगी, किन्तु उन्हें इस बात का पता होना चाहिये प्रारम्भिक कक्षाओं के अध्यापकों को मुश्किल से 115 रुपया मासिक वेतन मिलता है और वे धन बचाने की स्थिति में हैं ही नहीं। अतः ग्रामीण जनता की कठिनाई का तर्क न्यायसंगत नहीं है।

अपने ही स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विमुद्रीकरण नहीं किया तथा अन्तरिम प्रतिवेदन का प्रकाशन भी नहीं किया। डा० राव ने मेरे कथन को तोड़मोड़ कर प्रस्तुत किया। मैंने कहा था 7,000 करोड़ रुपयों के मूल्य की काली सम्पत्ति है जिसमें मुद्रा के साथ अन्य चीजें भी सम्मिलित हैं। डा० राव ने कहा कि जब मुद्रा केवल 42,00 करोड़ रुपये की है तो इतना काला धन कैसे हो सकता है। चैकों द्वारा भुगतान किये जाने का प्रस्ताव भी व्यवहार्य नहीं है।

डा० राव स्वप्नों की दुनिया में रहते हैं। तथा उन्होंने कुछ निरर्थक बातें कहीं हैं। उन्हें अपनी गलतियां छुपाने के लिये कुछ न कुछ कहना था। स्वयं वित्त मंत्री ने कई बार स्वीकार किया है कि देश में समानान्तर अर्थ-व्यवस्था चल रही है तथा काला धन सरकार की अर्थव्यवस्था में बाधा डाल रहा है।

डा० राव ने कर-अपवंचन की समस्या को सरलता से भुला दिया। इस समस्या को हल करने के लिये सरकार को लागत लेखों की लेखापरीक्षा की व्यवस्था करनी आवश्यक है। मैंने प्रधान मंत्री को भी इस सम्बन्ध में पत्र लिखे हैं कि यदि सरकार व्यापार को सुचारुरूप से चलाना चाहती है तो यह कदम उठाना अनिवार्य है। हम लाइसेंस दिये जाने का विरोध नहीं करते किन्तु इस बात का विरोध अवश्य करते हैं कि लाइसेंस देने की प्रक्रिया यह नहीं होनी चाहिये कि जो धन दे उसे लाइसेंस दिये जाएं। (**व्यवधान**)

चुनावों में सरकार की जीत के बाद श्री आर० पी० गोयंका ने क्लैरिजिड होटल में एक पार्टी दी जिसमें 35,000 रुपयों का बिल आया। हमारी मांग है कि श्री गोयनका की बहियों की जांच की जाए। जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है हम श्री कृष्णमाचारी, श्री बक्शी गुलाम मोहम्मद तथा श्री कैरों आदि के मामलों को भूले नहीं हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो भी जनता की आंख में धूल झोंकता है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के एक निदेशक ने अपने मित्र को बताया कि मुझे प्रधान मंत्री का आदेश मिला है कि मैं मामलों की रिपोर्ट गृहमंत्री को न देकर उन्हीं को दूं। (**व्यवधान**)

इतना नहीं न्यायाधीश सरजू प्रसाद आयोग के प्रतिवेदन में श्री महताब को अवैध रूप से घूस लेने का दोषी ठहराया गया है यह भी बताया गया है कि उनके अतिरिक्त अन्य बड़े अधिकारियों ने भी अवैध रूप से अपने पद का लाभ उठाया है और उठा रहे हैं। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार वांचू समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों को क्रियान्वित करे।

श्री के० आर० गणेश : महोदय, मैं दिल्ली में मारे गये छापे के बारे में अपने कथन में थोड़ा संशोधन करता हूं जिसमें मैंने पहले वास्तुविद कहा था तथा बाद में मूल्य निर्धारक। वहां 10 वास्तुविद हैं तथा ग्यारवहवां आने वाला है।

भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE: WORKING OF FOOD CORPORATION OF INDIA

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : काले धन पर हुई चर्चा में बड़े बड़े प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम सुने गये जैसे कि श्री कृष्णमाचारी, श्री गोयनका, श्री बक्शी गुलाम मोहम्मद, आदि आदि। किन्तु यदि भारतीय खाद्य निगम की धांधली पर ध्यान दिया जाए तो हमें सभी व्यक्तियों से सम्बन्धित मामले साधारण प्रतीत होंगे।

भारतीय खाद्य निगम 2,000 करोड़ रुपयों की राशि से व्यापार करता है।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**]
[SHRI K. N. TIWARY *in the Chair*]

तथा इन 2,000 करोड़ रुपयों में से भारी राशि गायब हो चुकी है। उनमें से कुछ राशि को अधिकारी खा गये तथा कुछ राशि को चूहे आदि खा गए। जहां तक मुझे पता है अब तक निगम का 6 करोड़ से आठ करोड़ तक रुपया गायब किया जा चुका है। वास्तव में और कितना रुपया गायब हुआ है यह सरकार ही जान सकती है।

अत्यन्त आश्चर्य की बात है कि भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन द्वारा की गई धांधली का सब को पता चल गया है तथा समाचार-पत्रों में उनसे सम्बन्धित समाचार प्रकाशित हुये हैं तथा लोक सभा में अनेक प्रश्न पूछे गये हैं फिर भी सरकार ने उक्त चेयरमैन को अभी तक उसके पद से मुक्त नहीं किया है। इसके अतिरिक्त वह समाचार-पत्रों के सम्पादकों तथा सम्वाददाताओं को प्रसन्न करके अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन ने अकबर होटल में प्रेस सम्मेलन बुलाया जिसमें काकटेल लंच की व्यवस्था की गई तथा प्रति व्यक्ति 30 रुपया खर्च किया गया। जितना धन उस पार्टी में खर्च किया गया उतने धन से लोक-सभा के सारे सदस्यों को भोजन की व्यवस्था हो सकती थी। सम्मेलन में शराब की सप्लाई की गई जिसके लिये सरकार से अनुमति भी मांगी गई। इस सम्मेलन को बुलाये जाने का तात्पर्य केवल इतना था कि चेयरमैन अपने बारे में सफाई देना चाहते थे कि मैं निर्दोष हूं। तथा केवल एक रुपया वार्षिक वेतन लेता हूं। यद्यपि जिस मकान में वह रहते हैं उसका किराया 4,000 रुपया मासिक से कम नहीं है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरदार इकबाल सिंह इस मकान किराये पर कर का भुगतान करते रहे हैं अथवा नहीं क्योंकि मेरे विचार से कानूनी तौर पर उन्हें कर देना चाहिये।

फाजिलका में भारतीय खाद्य निगम का एक छोटा सा डिपो है। किन्तु वह वहां का अनेक बार दौरा करते हैं। इसी प्रकार बम्बई का दौरा भी अधिक किया जाता है। भगवान जाने क्यों?

भारतीय खाद्य निगम द्वारा किये जाने वाले प्रत्येक कार्य में, चाहे वह अनाज की खरीद-फरोख्त हो अथवा खाद्यान्न लाने लेजाने या उसका भंडार बनाने की बात हो सभी में धनराशि का हेर फेर किया जाता है। ऐसे अनेक मामले हैं तथा मैं उन सबका उल्लेख भी नहीं कर सकता।

'ईवनिंग न्यूज़' के सम्वाददाता को सरदार इकबाल सिंह ने बताया कि वह भारतीय खाद्य निगम से भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं जिसके कारण उनका विरोध किया जा रहा है। यह सच है

कि उन्होंने भारतीय खाद्य निगम में माल की खरीद-फरोख्त सब अपने अधिकार में ले ली है जिससे भ्रष्टाचार भी एक स्थान पर केन्द्रीभूत हो गया है। उन्होंने गत एक या दो वर्ष में केवल इतना ही सुधार किया है।

उदाहरण के लिये एक अपंजीकृत फर्म से सरसों के तेल का टेंडर मांगा गया। उसने एगमार्क III किस्म के तेल के लिए टेंडर भेजा। वास्तव में इस किस्म का तेल बाजार में होता ही नहीं है। उक्त किस्म का जाने कितने हजार टन तेल बाजार भाव से 10 रुपया तेज खरीदा गया।

आपतकालीन स्थिति तथा युद्ध और शरणार्थियों का बहाना करके आसाम तथा अन्य स्थानों को खाद्यान्न की सप्लाई की गई यद्यपि वहां से इस आशय का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था। माल की ढुलाई मैसर्स मैलट ट्रांसपोर्ट कम्पनी को सौंपी गई तथा उन्हें चार गुना भाड़ा दिया गया। इतना ही नहीं भाड़े की अदायगी के लिये दिये गये चैकों में भी हेरा फेरी की गई।

लकड़ी के केसों के मूल्य भी अधिक दिये गये तथा 50,000 टन मक्का स्टार्च बनाने वालों को बेची गई जिसका बाजार भाव 65–68 रुपया था किन्तु अनिल स्टार्च आदि से केवल 63.99 रुप० मूल्य लिया गया। टेंडरों के सम्बन्ध में भी भारी धांधली की जाती है। किन्हीं व्यक्तियों के साथ पक्षपात किया जाता है।

सारे देश में बिक्री कार्यालय स्थापित किये गये हैं जबकि ज्ञात हुआ है कि एक कार्यालय पर 30–40,000 रुपया खर्च होता है। आश्चर्य है प्रत्येक कार्यालय में 30–40 युवतियां भर्ती की गई हैं। **(व्यवधान)**

गुजरात सरकार ने भारतीय खाद्य निगम से कुछ खाद्यान्न दिये जाने का अनुरोध किया जिससे वह मूल्यों में कमी ला सकें। गुजरात सरकार को चने का भाव 141.41 रुपया दिया गया जबकि बाजार में उसका भाव 125 रुपया से 138 रुपया था। निगम द्वारा चने की दाल का मूल्य 157 रुपया मांगा गया जबकि बाजार में उसका मूल्य 143–150 रुपया था। इसी प्रकार मूंग की दाल का मूल्य 251.62 रुपया मांगा गया जब बाजार में उसका मूल्य 193–230 रुपया था। वहां किसानों से धान 50–55 रुपया के मूल्य पर खरीदा जाता है तथा निगम 125 रुपया के भाव से बेचता है।

अन्त में मैं यह बताना चाहता हूं कि जब श्री इकबाल सिंह ने अपनी बदनामी को धोने के लिए अकबर होटल में एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया था, निगम ने इसके लिए 4,000 रुपये अग्रिम राशि के रूप में अकबर होटल को दिए थे। किन्तु दुर्भाग्यवश यह सम्मेलन नहीं हुआ। अतः हम जानना चाहते हैं कि 4,000 रुपये की राशि कौन देगा और क्या यह राशि होटल से वापस भी मिलेगी या नहीं।

जो व्यक्ति देश के हित में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं उन्हें उसके अनुसार हर संभव सुविधाएं दी जानी चाहिएं किन्तु इस पर धन खर्च करने की कोई सीमा होनी चाहिए।

मेरा आप से अनुरोध है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो से प्राप्त जानकारी दी जानी चाहिए। मैं कृषि मंत्रालय एवं भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि श्री इकबाल सिंह को भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष पद से अब तक क्यों नहीं हटाया गया है क्योंकि मुझे पता लगा है कि उन्होंने अपने आपको बचाने के लिए दस्तावेजों में हेरफेर करना आरम्भ कर दिया है।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासौर) : खाद्य निगम की स्थापना 1964 में उस समय की गई थी जब देश में आर्थिक अस्थिरता थी। सरकार लोगों की सहायता के लिए मूल्य नियंत्रण और खाद्यान्न के सुरक्षित भण्डार रखना चाहती थी। किन्तु तीन वर्षों से कोई सुरक्षित भण्डार नहीं बनाया गया है। वर्तमान वर्ष के लिए जो भण्डार है, अधिकारियों ने उसे ही सुरक्षित भण्डार के रूप में दिखाया है। यह बहुत ही विचित्र बात है, मैंने यह जानकारी कर्मचारी संघ और विपक्षी कर्मचारी संघ से एकत्रित की हैं।

बोरी काण्ड (गनी बैग्ज स्काण्डल) का दूसरा नाम भारतीय खाद्य निगम है। भारतीय खाद्य निगम मिल मालिकों, व्यापारियों और वणिकों को बोरियां मुफ्त देता है, जबकि एक बोरी का मूल्य 3.50 रुपये है और इन बोरियों को फिर काले बाजार में बेचा जाता है। भारतीय खाद्य निगम ने लगभग 25 से 31 करोड़ रुपये के मूल्य की बोरियां खरीदी हैं। कर्मचारियों के संघ के एक संकल्प में कहा गया है कि इन बोरियों को न केवल भारत में ही बेचा जाता है, वरन् इन्हें भारत से बाहर भी बेचा जाता है, जहां प्रति बोरी लागत 7 रुपया आती है। इस मामले की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है।

पता लगा है कि जून के अन्तिम सप्ताह में 2,000 मीटरी टन गेहूं भारत के एक पत्तन से विमानों द्वारा असाम ले जाना पड़ा था जिसका भाड़ा लगभग एक करोड़ रुपये से अधिक बैठा था। मैं जनाना चाहता हूं कि इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है। इसलिए यदि केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा कोई जांच की जाए तो इसे केवल अध्यक्ष से सम्बद्ध मामलों तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए अपितु इसे जांच क्षेत्र के अन्तर्गत सम्पूर्ण तंत्र को लिया जाना चाहिए।

निगम के एक कर्मचारी ने मुझे बताया है कि जो ठेकेदार निगम के लिए भवन का निर्माण कर रहा है वही ठेकेदार निगम के एक बड़े अधिकारी का मकान भी बना रहा है। अतः ऐसे भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जाना चाहिए।

जहां तक बालास फ्लोर मिल्ज़ और अनिल स्टार्च से खरीद का सम्बन्ध है 1968 से 1972 के दौरान मक्की की जो खरीद की गई है वह सब बातचीत से तय की गई निविदा के आधार पर की गई है। इन वर्षों में संभवतः न्यूनतम निविदा स्वीकृत नहीं की गई और भारत के समाचार पत्रों में भी कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया और संभवतः निविदा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया है। ऐसे मामलों में जब कभी भी बातचीत की जाती है तो वहां भ्रष्टाचार की सम्भावना बनी रहती है। अतः मंत्री महोदय को इस मामले की जांच करनी चाहिए।

कांडला से अहमदाबाद, भावनगर से अहमदाबाद और जामनगर से अहमदाबाद तक खाद्यान्न लाने ले जाने के लिए पुनः एक ही कम्पनी को एजेंसी दी गई है। इस मामले की भी जांच की जानी चाहिए।

खाद्य निगम में भ्रष्टाचार का एक और रूप भी है और वह है अनाज में नमी देने का जब भी आटा-मिलों को गेहूं की सप्लाई की जाती है तो उन्हें नमी के लिए 15 प्रतिशत लाभ दिया जाता है। किन्तु सूखे क्षेत्र से आने वाले गेहूं पर लाभ केवल 5 प्रतिशत है, किन्तु दिया जाता है 10 प्रतिशत लाभ जो 25 करोड़ रुपये से अधिक का बनता है, यह सारा रुपया भारतीय खाद्य निगम के भ्रष्ट कर्मचारियों की तिजोरियों में जाता है।

एक बार खाद्य निगम के एक अधिकारी ने मुझे बताया कि रामकृष्णपुरम स्थित रेलवे साइडिंग में गोलमाल है। ब्यौरा जानने पर पता लगा कि खाद्य निगम ने, भारतीय खाद्य निगम के भण्डारों

(डिपुग्रों) से उचित तोल करने के बाद गेहूं सपलाई करने के बजाए आटा-मिलों को अनुमति दी कि वे गोदामों के बाहर से सप्लाई लें। इसका यह अर्थ निकला कि खाद्यान्न तोलते समय भारतीय खाद्य निगम का कोई अधिकारी वहां नहीं था जो आटा मिल मालिकों तथा व्यापारियों पर ही छोड़ दिया गया था। इसका परिणाम यह निकला है कि आटा-मिल मालिक और अधिक अनाज की मांग कर रहे हैं। इस मामले में 70 लाख रुपये का गोलमाल हुआ है। इस सरकारी निगम से 16 करोड़ रुपये की हानि हुई है।

भारतीय खाद्य निगम में 40,000 कर्मचारी हैं। इनमें से कुछ की तो सीधी भर्ती की गई है, कुछ को केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय से स्थानान्तरित किया गया है, कुछ राज्य सरकारों से प्रतिनियुक्ति पर रखे गये हैं, कुछ राज्य संवर्ग के अधिकारी हैं, कुछ अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारी हैं और कुछ को गैर सरकारी क्षेत्र से नियुक्त किया गया है। अतः इस संगठन में अनेक प्रकार के कर्मचारी हैं, जिसका परिणाम यह निकला है कि जिम्मेदारी का तो कोई विभाजन नहीं करता किन्तु निष्ठा का विभाजन अवश्य किया जाता है अर्थात् उनकी निष्ठा में अन्तर आता रहता है। निगम के अध्यक्ष ने 15,000 कर्मचारियों के संघ की मान्यता रद्द कर दी है। यदि अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक कर्मचारियों के साथ बैठकर बातचीत नहीं करेंगे तो वे मामले का हल कैसे निकालेंगे? इसलिए इस संघ को तत्काल मान्यता दी जानी चाहिए उन्हें एक साथ बैठकर आपस में बातचीत करनी चाहिए।

अब कर्मचारियों ने स्थिति बहुत चिन्ताजनक बना दी है। ये कर्मचारी निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में समाचार पत्रों तक में समाचार दे रहे हैं। खाद्य निगम के वर्तमान अध्यक्ष ने ही इतना रुपया नहीं हड़पा है। यह तो एक शृंखला बद्ध भ्रष्टाचार चला आ रहा है। यदि वर्तमान अध्यक्ष पर लगा गए भ्रष्टाचारों के आरोप सिद्ध हो गये तो उन्हें ऐसा कठिन पाठ पढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि सरकारी क्षत्र के किसी भी उपक्रम का अध्यक्ष अपने कार्यकाल में ऐसी गलती न करे।

पिछली बार जब मैं उड़ीसा गया तो पता लगा कि वहां भारतीय खाद्य निगम के गोदामों और अन्य गोदामों से लगभग 30 लाख रुपये का खाद्यान्न चोरी हो गया है। बालासौर जिले में सदा गरीबी का राज्य रहता है। लोग सूखे और तूफान के कारण वहां भूखे रहते हैं। दो गोदामों की जांच करने के बाद पता लगा कि वहां से 7 लाख रुपये का अनाज गायब हो गया है। इस मामले की जांच की जानी चाहिए।

बालासौर जिले में खाद्य निगम के एक सहायक प्रबन्धक को अयोग्य सिद्ध कर दिया गया था और उड़ीसा सरकार उसकी सेवाविधि बढ़ाना नहीं चाहती थी किन्तु कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के कारण उसी व्यक्ति को पुनः नियुक्त कर लिया गया था। वही व्यक्ति राज्य में भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया। इन सब कार्यों के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है?

इसलिए मेरा अनुरोध है कि भारतीय खाद्य निगम के क्रियाकलापों की विस्तृत जांच की जानी चाहिए। हमें किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। हमें यह पता लगाना चाहिए कि इन भ्रष्ट कार्यों में कितने लोग शामिल हैं और फिर सदा के लिए भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : सभापति महोदय, यह कहां तक ठीक है कि एक सरकारी क्षेत्र के निगम का एक अध्यक्ष संसद भवन के सेन्ट्रल हाल में प्रवेश करने का क्यों लाभ उठाता है और

किसी के पक्ष या विपक्ष में क्यों बातचीत करता है। मैं इस सम्बन्ध में आपका विनिर्णय चाहता हूं। इसका क्या कारण है मुझे पता नहीं लगता।

भारतीय खाद्य निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार और धांधलेबाजी से अनेक लोग चकित हो सकते हैं किन्तु जिन लोगों को इसकी जानकारी है उन्हें इससे आश्चर्य नहीं होता है अतः भ्रष्टाचार बहुत व्यापक रूप से व्याप्त है। भारतीय खाद्य निगम में जो कुछ हो रहा है वह कोई बहुत बड़ा जाल है, गहरी नीति है, किसी विशेष वर्ग को लाभ देना और इससे अपना राजनीतिक लाभ उठाना मात्र है।

खाद्य निगम अधिनियम एक अन्य द्वियर्थक दस्तावेज हैं जिससे अनेक प्रकार के राजनीतिक संरक्षण दिए जाते हैं। यहां तक कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों में भी भेदभाव बरता जाता है। इस असंगति को दूर किया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य निगम, जो सरकार का महत्वपूर्ण अंग है, बिचौलियों का स्वर्ग बना हुआ है।

इस वर्ष सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने बताया है कि भण्डारण घाटा 1971-72 तक 21.96 करोड़ रुपये का; अनाज की ढुलाई में 1965-66 में 95 लाख से बढ़कर 1970-71 में 7.8 करोड़ रुपये के अनाज की हानि हुई---यह स्थिति है खाद्य निगम की। निष्फल व्यय प्रतिवर्ष 25 करोड़ रुपये का होता है। आटा मिलों को अनाज बोरियों में दिया जाता है जिन्हें वे सिंगापुर तथा अन्यत्र निर्यात करते हैं और बदले में सोना अवैध रूप से मंगाया जाता है।

सरसों के तेल की खरीद आदि के घोटाले. के बारे में श्री पीलू मोदी बता ही चुके हैं। खाद्य निगम के चैयरमैन इस प्रकार देश का धन लुटा रहे हैं, इसका प्रमाण उन्हीं के आदेशों वाली फाइलें देखकर मिल सकता है।

पालीथीन थैलों के सौदे में जहां कुछ राजनीतिक दलों के सदस्यों का हित था वहां स्वयं सरदारजी भी एक पार्टी थे।

यह ठीक है कि ये कांड गुटों में टकराव के परिणाम स्वरूप प्रकट हुए हैं और इसमें कौन-कौन दोषी हैं क्योंकि इस निगम के स्टाफ का एक गुट उनके पक्ष में है और दूसरा उनके विरुद्ध। अतः हम चाहते हैं कि पूरे मामले की पूरी-पूरी जांच हो।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि श्री महापात्र की मांग का समर्थन करते हुए मैं चाहूंगा कि पूरे मामले की ठीक-ठीक जांच शीघ्र की जाये और यह भी बताया जाये कि क्या यह सच नहीं है कि सरदार इकबाल सिंह ने अपनी पार्टी के लिए धन एकत्र किया और उसका काफी भाग अपने पास रख लिया?

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : Sir, I am not defending anyone but I would like to point out that how that the case has been entrusted to the C.B.I., a hue and cry here is of no avail. Nevertheless, I would like to state certain facts in this connection.

Firstly, certain bureaucrats, angered by firm steps taken by the Chairman to remove middlemen and Commission Agents, have raised this hue and cry against him.

Secondly, the stoppage of the system of supplying foodgrain in gunny bags to flour mills to the discomfiture of bureaucrats who might have manipulated against the Chairman.

I would, therefore, request that alongwith the conduct of the Chairman, the goings-on of these bureaucrats should also be gone into who are entrenched there for the last 15 years or more. I know all is not well with the administrative machinery of F.C.I. and only those bureaucrats are raising a hue and cry whose machinations have been exposed.

In the end I would reiterate that a 'shifting enquiry' must be conducted combining all the aspects of the matter.

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : Sir, I feel that even if ten per cent of the allegations levelled against S. Iqbal Singh, are true, he should resign and only then C.B.I. enquiry be conducted and if he does not do so, he should be removed because we know that enquiry cannot be conducted properly as long as he holds that post.

I demand examplory punishment for him if he is found guilty of these charges. Only then we can lay the foundations of Socialism.

Twenty-four serious charges have been levelled against him in the charge-sheet and most of them are very grave indeed, but he continues to remain in his job and as such no enquiry can be conducted properly.

Unfortunately F.C.I. is corruption-ridden from top to bottom and as such all officers past and present should be included in the enquiry by a high-powered commission which may be set-up for the purpose.

Mr. Chairman : Kindly try to conclude so that maximum number of members may be accommodated.

Shri Jharkhande Rai : It appears that a strong American lobby is trying to sabotage the Food Corporation after stoppage of PL-480 imports.

Favouritism is rampant in the Corporation and only yesmen are kept at the Headquarters.

We should get a copy of the reply sent by the Chairman apropos the charges against him.

Why CBI enquiry has been restricted to only four charges? Its terms of reference should be broad-based so as to include all the charges levelled against him.

It is imperative to remove him before the enquiry starts so as to make it impartial and ensure success of the Public Sector and keep the people's faith in tact in Government and its actions. No political pressure should be allowed to influence the course of enquiry.

Shri R. N. Sharma (Dhanbad) : The present debate should not be centred round its Chairman only and this issue has been exposed by faction fight of the staff of Food Corporation. 15,000 of the 42,000 total employees are deputationists and they have an association there which is now divided into two factions.

It is rather strange that class I and II officers whose faction submitted the charge-sheet against the Chairman and which was promptly handed over to the CBI for enquiry should resort to a relay fast and seek audience with the Prime Minister on this very issue. It points towards the harm being brought to them and their henchmen's self-interests. These henchmen were hit by the order of the Chairman eliminating middlemen in purchaing grain direct from the farmer.

Sir, I want to know from Government why options have not so far been obtained from these deputationists and why their future has not been decided so far and why the Managing Director is still having the option to return to his substantive post in the Ministry even though he had resigned his post in the Ministry.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुऐ

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

It is bad that the Chairman and Managing Director are at laggerheads, both being whole-timers.

The Ministry by not delineating the functions of the two has caused friction between the two thereby affecting the efficiency of the Corporation as a whole. I feel this situation has arisen due to mishandling of the affairs of the Corporation by the Ministry. They should take proper and prompt action in the matter. If this is not done, the same fate is staring in the face of all other Corporations etc. sooner or later.

In the end I would request that the CBI enquiry should cover the entire issue including the removal of middlemen etc.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शाहनवाज़ खां।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : यदि आप सदस्यों को क्रमानुसार बुला रहे हैं तब तो पहले डी०एम०के० और फिर हमारे दल की बारी आती है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी को अवसर दूंगा।

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं खाद्य निगम का दो वर्ष तक चैयरमैन रहा हूं। और इसकी आलोचना सुन कर मुझे दुःख हुआ है परन्तु मैं कहूंगा कि इस निगम ने उल्लेखनीय कार्य किया है।

जो लोग गांवों से आते हैं उन्हें पता है कि भारतीय खाद्य निगम के अस्तित्व में आने से पहले, मई और जून में मंडियों में अनाज की बाढ़ सी आ जाती थी और व्यापारी लोग किसानों का शोषण करते थे। खाद्य निगम ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। जबकि अन्य चीजों के मूल्य अत्यधिक बढ़े हैं, खाद्यान्नों के मूल्यों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई है तथा उन्हें नियंत्रण में रखा गया है।

मैं यहां प्रबन्ध निदेशक अथवा अध्यक्ष का बचाव नहीं कर रहा। खाद्य निगम के कारण ही हम बंगला देश से आए शरणार्थियों को समुचित भोजन दे सके। ऐसी परिस्थितियों के लिए अनाज का भण्डार रखना उसका कर्त्तव्य है और उसे उसने सफलता पूर्वक निभाया है।

कुछ सदस्यों का कहना है कि खाद्य निगम में यह सब गोलमाल सरदार इकबाल सिंह और प्रबन्ध निदेशक श्री देव के कारण है। जहां तक श्री देव का सम्बन्ध है उनके साथ मैंने काम किया है। वे एक बहुत ही ईमानदार अधिकारी हैं......

श्री भगवत झा आजाद : आप इस प्रकार एक अधिकारी का बचाव कर रहे हैं और एक को... **(व्यवधान)**

श्री एस० एन० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है किसी माननीय सदस्य ने श्री देव का नाम नहीं लिया। केवल प्रबन्ध निदेशक कहा गया था। मेरा प्रश्न यह है कि नाम लेने के बाद एक अधिकारी का बचाव मंत्री महोदय कर सकते थे। पर अब उन्हें सुनने के बाद मैं समझता हूं कि श्री देव के विरुद्ध विस्तृत जांच की जानी चाहिए। एक भूतपूर्व अध्यक्ष एक अधिकारी को क्यों बचाए... **(व्यवधान)**

श्री भगवत झा आजाद : खाद्य निगम के महत्वपूर्ण कार्य का तो उल्लेख किया गया, परन्तु हम उसके महत्वहीन काम के सम्बन्ध में भी सुनना चाहते हैं। श्री देव के सम्बन्ध में ही नहीं सम्पूर्ण खाद्य निगम के बारे में जांच की जानी चाहिए...... **(व्यवधान)**

Shri B. P. Maurya (Hapur) : The present corruption prevalent in Food Corporation is not a thing of recent times. It has got its roots right in the beginning of Food Corporation. Therefore, there should be an enquiry into the entire working of Food Corporation of India.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं (**व्यवधान**) यह एक निश्चित संसदीय प्रक्रिया है कि किसी अधिकारी का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे ऐसा न करें।

श्री शाहनवाज खां : किसानों से सीधे अनाज खरीदने की बात की सर्वत्र सराहना की गई है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि किसी के विरुद्ध आरोप हैं तो उनकी पूरी-पूरी जांच की जानी चाहिए।

मुझे इस बात का खेद है कि खाद्य निगम में दो कार्मिक संघ हैं और उनमें एक प्रबन्ध निदेशक का समर्थन करता है तथा दूसरा अध्यक्ष का। इस आन्तरिक विरोध को समाप्त किया जाना चाहिये।

इन सब कमियों के बावजूद खाद्य निगम ने अच्छा कार्य किया है और मुझे आशा है कि वह ऐसा करता रहेगा।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : श्रीमान्, यह चर्चा दो श्रमिक संघों में अथवा किसी व्यक्ति विशेष के कुकृत्यों और कदाचार के बारे में न होकर भारतीय खाद्य निगम के सम्पूर्ण कार्यकरण के बारे में है, जिसमें दुर्गन्धपूर्ण भ्रष्टाचार और कदाचार व्याप्त है। वैसे तो सभी बातें विचारणीय हैं किन्तु मैं विशेष रूप से लोक निधि से इस पर किये जा रहे भारी खर्च से चिन्तित हूं। वर्ष 1965-66 में खाद्य निगम की कार्यकारी पूंजी 39 करोड़ रुपये थी जो अब बढ़कर 464 करोड़ रुपये हो गई है। जहां तक राजसहायता का सम्बन्ध है, वर्ष 1967-68 से 1970-71 तक इसे 61.98 करोड़ रुपये की राशि दी गई और वर्ष 1972-73 में इसे 100 करोड़ रुपये की राशि राजसहायता के रूप में देने का प्रस्ताव किया गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि इतनी विपुल राशि के पूंजी-निवेश के साथ भारतीय खाद्य निगम का कारोबार क्या रहा। वर्ष 1965-66 में इस निगम ने कुल 289 करोड़ रुपये का व्यापार किया। वर्ष 1970-71 में इसका व्यापार लगभग 1400 करोड़ रुपये का था और अब वह 1600 करोड़ रुपये का है। किन्तु इस तमगे का दूसरा पक्ष इतना उज्जवल नहीं है। वर्ष 1965-66 में भंडारण हानि 195 लाख रुपये थी और अब यह बढ़कर 660 लाख रुपये हो गई है। वर्ष 1965-66 में ढुलाई के दौरान होने वाली क्षति 95 लाख रुपये थी जो अब बढ़कर 7.8 करोड़ रुपये हो गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि निगम के कारोबार में वृद्धि तो हुई है, किन्तु साथ ही साथ उसकी भंडारण-क्षति और ढुलाई-क्षति में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 1967-68 में यह क्षति 2 रुपये प्रति टन थी और अब यह बढ़कर 13.7 रुपये प्रति टन हो गई है। इसका प्रतिष्ठान खर्च 1967-68 में 4.40 रुपये प्रति टन था जो अब बढ़कर 13.50 रुपये प्रति टन हो गया है। इसके भंडार में वृद्धि हुई किन्तु उस पर ऋण की राशि 18 गुना बढ़ गई है। उसे किराये के रूप में भी अधिक देना पड़ता है। इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण इसका खर्च अधिक बढ़ा है।

इसमें संदेह नहीं है कि भारतीय खाद्य निगम का व्यापार बढ़ा है, साथ ही उसका खर्च भी बढ़ा है और उससे लाभ जनता को न होकर बिचोलियों अथवा आड़तियों को हुआ। जहां तक वसूली का सम्बन्ध है, अप्रैल 1970 से मार्च 1971 तक रबी की फसल में 0.1 प्रतिशत वसूली सीधे किसानों से, 41.1 प्रतिशत सहकारी क्षेत्र से और 58.8 प्रतिशत आड़तियों के माध्यम से की गई। खरीफ फसल में भी गैर-सरकारी क्रेताओं द्वारा 88.8 प्रतिशत वसूली की गई। इसका अर्थ है कि 90 प्रतिशत वसूली आड़तियों द्वारा की गई और सहकारी क्षेत्र की उपेक्षा की गई। इससे ग्राम जनता अथवा किसानों

को लाभ न होकर बिचौलियों को लाभ हुआ। वे हमेशा किसानों को लूटते रहे और अब भी उन्हें ही लाभ हुआ।

भारतीय खाद्य निगम के कलकत्ता कार्यालय में एक मामले में 32 लाख रुपये के गोलमाल का ब्यौरा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में दिया गया। यह तो एक मामला है, ऐसे कई मामले होंगे। सरकार ने बताया कि इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है। मेरा सुझाव है कि सम्बन्धित भ्रष्ट अधिकारियों को चाहे वह चेयरमैन हो अथवा मैनेजिंग डायरेक्टर, निलम्बित कर दिया जाना चाहिये। अन्यथा जांच ठीक प्रकार से न होगी। साथ ही मंत्री महोदय बतायें कि अब तक की गई जांच के निष्कर्ष क्या हैं और सरकार ने तदनुरूप क्या कार्यवाही की है।

Shri Sadhu Ram (Phillaur) : The issue which has been brought before the House to-day is the result of some differences among the employees. There are two unions of the employees in the Food Corporation and due to the differences, certain charges were made against the Chairman.

One thing that I want to say is that the answer given by the Chairman has not been placed on the Table of the House, though I requested for that a number of times.

On account of putting screening machines in the mandis for regulating the quality of the foodgrains, the intermediary income of the Inspector and Agent was stopped. As a result of it, they started making allegations against the Chairman.

The Ministry of Agriculture should have sought the explanation of the Chairman and only after going into that thoroughly, they should have referred the case to C.B.I. The documents available with us show that some sort of conspiracy is going on against the Chairman. No punishment should be given without listening to the aggrieved party.

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) : To-day we are discussing the working of Food Corporation of India. . .

Shri Panna Lal Barupal (Ganganagar) : The explanation given by the Chairman should be laid on the Table of the House.

उपाध्यक्ष महोदय : सभापटल पर किसी भी व्यक्ति के कागजात नहीं रखे जा सकते।

Shri Jagannath Rao Joshi : We have to see whether the Food Corporation has been successful in achieving the aims for which it was established. If not, why that is so? During the present enquiry this aspect should also be gone into.

Food Corporation was set up to give fair price to the farmers for their produce and to ensure proper distribution of foodgrains in whole of the country. But I see, as has been said by Shri Shinde also, that everything is not going on well. Losses are increasing every year. No doubt the quantity of foodgrains, being handled by the Corporation is increasing and with that the responsibilities are also increasing and they should be properly borne. . . (*Interruptions*).

I am unmarried and completely unattached and non-committal, and therefore, I can deal it with all objectivity impartiality with impartial and subjective assessment.

The losses in the F.C.I. have constantly mounting and the figures pertaining to pilferage have also been rising. It is not because the distribution is increasing; efficiency should also increase side by side. The destruction of foodgrains is not because of rats or black rats; it is done by human hands. They did not construct standard godowns and the foodgrains were destroyed because of these godowns being sub-standard. Moreover it is quite surprising that whereas coal is carried in closed wagons, the foodgrains are transported in open wagons. Why is it so ?

Then in the case of gunny bags the F.C.I. suffered a loss of Rs. 25 crores, and now the F.C.I. has sought the permission of the Ministry of Food and Agriculture to recover the cost of gunny bags from the buyers of foodgrains. This is the second item of the F.C.I. whose spokesman has said that the Corporation spent over Rs. 31 crores annually on the purchase of 90 million gunny bags. It means that first they give away gunny bags free of cost and later on when they themselves need them, they purchase them. Are these not very serious lapses of omissions and commissions? Could not they recover the cost with the Ministry's approval?

The hon. Minister should explain all these things. We find fabrications in all the cases. The amount of demurrage has also gone up from Rs. 28,000 in 1966 to Rs. 17 lakh in 1971. But still the hon. Minister tries to give a certificate of efficiency to this Corporation.

Thus, when the losses are mounting in such an important organisation; how do you, then, boast of ushering in Socialism and how do you propose to benefit the common man of the country?

Mr. Deputy Speaker, Sir, corruption percolates from the top to the bottom. If the Chairman of the F.C.I. receives only one rupee as honorarium for the services he does for the F.C.I., what is, then, the source of his income to earn his livelihood? Can a man live on an honorarium of Re. 1 only? In my opinion, if a man is supposed to serve, he is entitled to all the facilities to enable him to serve. So, the question of giving only Re 1/- as honorarium to the Chairman should be reconsidered. Then is it not something very funny that he is given only Re 1/- as honorarium but a bungalow worth Rs. 4,000 monthly rent; free of rent? My point is that you may give whatever pay you like to give to the Ministers etc. but you should not give them anything *viz*. Bungalow, car, electricity, water etc., free of cost.

So, the enquiry should be held to find out whether the real purpose of setting up the F.C.I. has been achieved or not. Let us find out why the people at large like to call this Corporation by the name "Chor-poration". Let there be a complete enquiry in all the matters and condign punishment meted out to those found guilty.

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : भारतीय खाद्य निगम सम्बन्धी चर्चा में जितने भी माननीय सदस्यों ने भाग लिया है सभी ने इसके कार्यकरण की निन्दा तथा भर्तस्ना की है । यहां तक कि श्री शाह-नवाज खां ने भी इस निगम की नहीं बल्कि केवल एक अधिकारी की रक्षा करने का प्रयास किया है।

आज सामान्य व्यक्ति इस प्रकार के भ्रष्टाचार तथा कदाचारों का शिकार हो रहा है । श्री मोदी ने बताया कि इस निगम ने गुजरात सरकार को सस्ते दामों की दुकानों के माध्यम से वितरणार्थ दालों के भावों के वे आंकड़े दिये जो उस समय प्रचलित सामान्य बाजार भावों से भी कहीं अधिक थे। और फिर यह अन्तर भी कम नहीं था। चने के भाव में 16 रु०, चने की दाल के भाव में 14 रु० तथा मूंग की दाल में 58 रु० प्रति क्विटल का अन्तर था । इस प्रकार यह निगम सामान्य उपभोक्ता के हितों को लाभ पहुंचाने में सर्वथा असमर्थ रहा।

मैं मंत्री महोदय से तीन प्रश्न पूछना चाहूगा तथा वह विशिष्ट रूप से उनके उत्तर दें। क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के वाणिज्य प्रबन्धक, वित्तीय सलाहकार तथा प्रबन्ध निदेशक ने अध्यक्ष को सलाह दी थी कि सरसों के तेल के शेष बचे 525 मीटरी टन के स्टाक की सप्लाई के लिये व्यापारियों को दी गई अवधि में वृद्धि न की जाये परन्तु अध्यक्ष ने इस सलाह की अवहेलना करके इस अवधि में वृद्धि की विशेष रूप से तब जबकि उसके बाजार मूल्य और भी कम हो गये थे और इससे निगम को और 61 लाख रुपये की हानि हुई ? निगम को बाध्य होकर दालों के मूल्य बाजार के मूल्यों से अधिक बताने पड़े क्योंकि अध्यक्ष ने चने की खरीद उस समय अकस्मात ही रोक दी थी जबकि उसके भाव 94 रु० प्रति क्विटल थे। और फिर चने की खरीद उस समय पुनः चालू की गई जब उसके मूल्य 114 रुपये से 117 रुपये तक बढ़ गये। क्या यह सच नहीं है ? यही कारण है कि गुजरात राज्य उचित मूल्य की दुकानों पर दालों का वितरण नहीं कर सका।

खुले बिक्री केन्द्रों के उद्घाटनों पर ही बहुत अधिक राशि व्यय की गई है। क्या भारत सरकार ने अब इन केन्द्रों पर रोक नहीं लगा दी है?

इस निगम ने बड़ौदा के राज्य केन्द्र को 1 मई, 1972 को दालों की बिक्री गुजरात राज्य को दिये गये मूल्यों से बहुत कम मूल्यों पर की। इसका अर्थ है कि निगम ने गैर सरकारी व्यापारियों को गुजरात राज्य को बताये गये मूल्यों से कम मूल्यों पर दालों की बिक्री की। ऐसे क्यों हुआ? निगम ने इस प्रकार सामान्य उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों से वंचित क्यों रखा?

श्री समर गुह (कन्टाई): कई एक अन्य निगमों के अध्यक्षों के समान सरदार इकबाल सिंह ऐसे लोगों में अपवाद नहीं हैं अपितु उनमें से एक हैं जिन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों अथवा निगमों को बदनाम कराया।

आज हम केवल एक व्यक्ति पर आरोप लगाते जा रहे हैं। आज यह चर्चा बड़ी ही रोचक रही क्योंकि प्रायः हर वर्ग के सदस्य ने इस में बढ़चढ़ कर भाग लिया। बड़ी ही रुचि दिखाई। शासक दल के कुछ सदस्य तो इस मामले को एक आम मामला बनाना चाहते थे परन्तु कुछ सदस्य व्यक्तिगत रूप से दोषारोपण कर रहे थे। शासक दल के ही कुछ सदस्य तो उस विशिष्ट व्यक्तित्व का समर्थन कर रहे थे तथा कुछ उनका विरोध कर रहे थे। इस में आधारभूत तत्व निहित है। इसमें वस्तुतः सार्वजनिक उपक्रमों तथा निगमों के अध्यक्षों के चयन सम्बन्धी प्रक्रिया का मामला सामने आता है। सच तो यह है कि ऐसे संस्थानों का अध्यक्ष चुनते समय शासक दल संबंधित व्यक्ति की राजनैतिक स्थिति तथा दल में उसके समर्थन का मूल्यांकन करता है और दल में सशक्त स्थिति को देखकर ही उसे अध्यक्ष बना देता है जोकि सार्वजनिक हितों की दृष्टि से सर्वथा अनुचित है। यही बात भारतीय खाद्य निगम के साथ भी हुई है। ऐसे मामलों में परिणाम यह होता है कि संबंधित मंत्रालय का कोई कनिष्ठ मंत्री जिसका संगठनात्मक समर्थन नहीं होता वह उस अध्यक्ष पर उचित कार्य के लिये दबाव नहीं डाल पाता; अपने उपाय में वह प्रबन्ध निदेशक आदि को अपने विश्वास में लेता है और फिर इस प्रकार परोक्ष रूप से अध्यक्ष तथा मंत्री महोदय में ठन जाती है। यही हाल भारतीय खाद्य निगम के संबंध में हुआ है। शासक दल के ही सदस्यों में इस विषय पर विचार विभिन्नता इसका स्पष्ट द्योतक है।

तो इसका मूल कारण क्या है। वस्तुतः यह सारी बुराई अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया के कारण पैदा होती है। प्रश्न तो यह है कि ऐसे पदों पर शासक दल के ही लोग क्यों चुने जाते हैं? ऐसे निगमों या उपक्रमों का कार्यकरण देखकर बड़ा धक्का पहुंचता है। ये लोग ठेकेदारों के माध्यम से कार्य करते हैं और ये ठेकेदार उनके दल के लिये चन्दा देने में दुधारू गाय के समान कार्य करते हैं। वस्तुतः ऐसे अध्यक्ष या यूं कहिये कि "हां जी" वृति के लोग शासक दल के लिये चन्दा एकत्रित करने के लिये नियुक्त किये जाते हैं।

मुझे याद है कि चुनावों के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने परिवहन ठेकेदारों को अपनी लारियां 12 रुपये की दर की बजाये 20 रुपये की दर पर उपलब्ध करने को कहा। इस प्रकार 8 रुपये प्रति लारी का रुपया चुनाव कोष में चला गया।

सार्वजनिक निकायों के अध्यक्षों को तो शासक दल राजनैतिक शिखण्डी के रूप में प्रयोग में लाता है। कई बार तो ये अध्यक्ष सर्वथा निर्दोष होते हैं। ऐसे मामलों में पूरी तरह जिम्मेवारी शासक दल की होती है।

भारतीय खाद्य निगम के मामले में सरकार इकबाल सिंह उन पर लगाये गये आरोपों से बच नहीं सकते। दोनों ही पक्ष के प्रायः सभी सदस्यों ने उनके द्वारा किये गये कदाचारों के अकने

उदाहरण दिये हैं। और सरदार इकबाल सिह इस प्रकार भारतीय खाद्य निगम में कदाचारों तथा भ्रष्टाचारों की एक सजीव मूर्ति प्रतीत होते हैं।

श्री शाहनवाज खां भले ही भारतीय खाद्य निगम को इन आरोपों से बचाने का उपाय करें परन्तु वस्तुत: आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे निकायों के समस्त प्रशासन के लिये अच्छे व्यक्तियों का चयन किया जाना चाहिये।

मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि यदि ऐसे निगमों/उपक्रमों का अध्यक्षों आदि का चयन कार्य के बल दल गत भावना के आधार पर किया जाता है तो फिर सरकार का समाजवाद का नारा, सिद्धान्त या इस दिशा में किया गया कोई अभियान सब असफल सिद्ध होंगे, ढकोसला सिद्ध होंगे।

आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि यद्यपि सरकार ने खाद्यानों के भाण्डाकरण के लिये हर राज्य में गोदाम बनाने का निर्णय किया था परन्तु इसे क्रियान्वित नहीं किया गया तथा किराये के गोदामों का उपयोग हो रहा है। वितरण के मामले में भी सरकार सीधे ही स्वयं वितरण न कर के शासकदल के पिठ्ठू व्यापारियों के माध्यम से खाद्यानों का वितरण कर रही है जोकि शासक दल को भरपूर चन्दे देते हैं। क्या यह समाजवाद के नाम पर एक धब्बा नहीं हैं? (**व्यवधान**)

इस स्थिति के उपचार के लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहला तो यह कि सार्वजनिक निकायों, निगमों आदि के अध्यक्षों को चयन राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं मे से नहीं किया जाना चाहिये। किसी भी दल के सक्रिय कार्यकर्ता को ऐसे पदों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये। दूसरे ऐसे पदों के लिये उचित व्यक्तियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग जैसे ही किसी चयन निकाय के द्वारा किया जाना चाहिये जः कि सर्वथा निष्पक्ष हो, स्वाधीन हो। इस उपाय से सार्वजनिक संस्थानों की ऐसी बुराइयों को दूर करने में पर्याप्त सहायता मिलेगी।

सरदार इकबाल सिंह शासक दल के महत्वपूर्ण सदस्य हैं संसदसदस्य तथा मंत्री भी रहे हैं कई संसद सदस्य उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि आत्मसम्मान की दृष्टि से या फिर त्यागपत्र की मांग आने से पूर्व ही उन्हें तुरन्त ही अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिये। दूसरे तत्सम्बन्धी समूची नीति की जांच करते हेतु एक उच्च-शक्ति प्राप्त जांच समिति गठित की जानी चाहिये जोकि भारतीय खाद्य निगम के समूचे कार्यकरण की तथा सारे ढांचे की जांच करे। केवल मामूली सी जांच या पूछताछ के कुछ नहीं होगा।

कृषि मंत्री: (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : भारतीय खाद्य निगम पर इस वाद-विवाद का मैं स्वागत करता हूं। निगम के अध्यक्ष के विरुद्ध जब कुछ आरोप लगाये जाते हैं तब यह सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि उनकी जांच करे और जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी वह समुचित जांच के पश्चात् की जायेगी।

श्री पीलू मोदी: इस बीच उन्हें निलम्बित कर दिया जाये।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : बिना जांच पूरी किये दण्ड देना दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

आरोपों के बारे में अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगते हुए एक गुप्त पत्र मैंने लिखा था।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमड हार्बट) : उसे सभा पटल पर रखा जाये।

श्री बीं० पी० मौर्य (हापुड़) : क्या अध्यक्ष का स्पष्टीकरण प्राप्त होने से पूर्व मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपना उचित होगा?

श्री ज्योतिर्मय बसु: उन्हें अस्थायी रूप से पृथक कर दिया जाये। यदि वह निर्दोष सिद्ध होते हैं तो पुनः कार्यभार सम्भाल सकते हैं।

श्री पीलू मोदी: वह रिकार्ड में फेर-बदल कर रहें हैं।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: कुछ कर्मचारियों ने इस प्रकार के आरोप लगायें हैं। मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो के विचाराधीन है। चेयरमेन का उत्तर प्राप्त हो गया है जोकि 150–200 पृष्ठों में है। उसका अध्ययन किया जा रहा है।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि भारतीय खाद्य निगम में बहुत कमियां रही हैं। परन्तु यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि निगम ने उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की है जिसके लिये इसकी स्थापना की गई थी। निगम के कार्य में पांच छः गुना वृद्धि हुई है। माननीय सदस्य ने कहा इसका कुल व्यापार 2000 करोड़ रुपए का रहा। ऐसा नहीं है। यह केवल 1600 करोड़ रु० का था।

श्री समर गुह: लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार हानि 25 प्रतिशत रही है।

सभी सरकारी प्रतिष्ठानों के अध्यक्ष राजनीतिक दृष्टिकोण से नियुक्त किये जाते हैं।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: इस आरोप का कोई आधार नहीं है।

श्री एस० एन० बनर्जी: हम तो यही चाहते हैं कि केवल सक्षम व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाये।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: यह कैसे हो सकता है कि किसी राजनीतिक दल के व्यक्तियों को ऐसे अवसरों से वंचित रखा जाये।

जहां तक निगम के कार्य में सुधार का प्रश्न है मैं सदस्यों के रचनात्मक सुझावों का सदा आदर करता रहा हूं।

मुझे खेद है कि सरकारी प्रतिष्ठान में ऐसी घटनाएं घटी हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु: मंत्री महोदय विषय से उतर न जायें और पूछे गये प्रश्न का सीधा उत्तर दें और बताएं कि इस मामले की जांच कब तक पूरी हो जायेगी।

श्री एस० बी० गिरि (वांरगल): क्या जांच केवल पिछले वर्ष तक की ही सीमित रहेगी अथवा निगम की स्थापना के समय से की जायेगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: जब सभी तथ्य सरकार के पास आ जायेंगे तो सरकार इस मामले पर विचार करेगी।

खाद्य निगम द्वारा अथवा खाद्य विभाग द्वारा धान का वायुयानों द्वारा भेजने का कोई प्रश्न ही नहीं था। वास्तव में बात यह थी कि कुछ रूसी विमानों को खाली उड़ानें भरनी थी। उनकी खाली जगह का उपयोग किया गया था। खाद्य विभाग को उसके लिए कोई भाड़ा नहीं देना पड़ा।

जो भी आरोप लगाए गये हैं उनकी ध्यानपूर्वक जांच की जायेगी और सभी तथ्य सदन में पेश किये जायेंगे।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक): मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय खाद्य निगम की भद्रक शाखा के भूतपूर्व सहायक प्रबन्धक को उनकी सेवा निवृत्ति के 25 दिन पश्चात् किस आधार पर पुर्ननियुक्त किया गया था ?

एस० एम० बनर्जी : कर्मचारियों ने कुछ मांगे भी रखी है। क्या सरकार उन पर विचार करेगी ?

Shri B. P. Maurya : F.C.I. is an autonomous body. The question as to what extent the hon. Minister is responsible for it's working should also be decided.

श्री पी० एम० मेहता : गुजरात सरकार उचित मूल्य की दुकानों से दालें देना चाहती थी। परन्तु निगम द्वारा कोट किये गये दर खुले बाजार से अधिक थे।

श्री आर० एस० पांडे : निगम को कार्य अच्छी प्रकार करना चाहिए। शिकायतों के बारे में सदन में रोष है। मेरा सुझाव है कि पूरे मामले की जांच के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए जिसकी रिपोर्ट सदन में रखी जानी चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं माननीय सदस्य के सुझाव का समर्थन करता हूं।

Shri Jharkhande Rai (Ghasi) : Only four issues have been referred to C.B.I. Why all the points have not been referred to C.B.I. ?

श्री भगवत झा आजाद (भागलपुर) : मंत्री महोदय ने कहा कि वह राय को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि मामले कि जांच की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका जांच पर किस प्रकार प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि एक मंत्री ने खाद्य निगम के एक उच्च अधिकारी के बारे में अपनी निश्चित राय प्रकट की है।

श्री ज्योतिमर्य बसु : यह मामला कई वर्षों से चल रहा है। जांच व्यूरो का भारी संगठन इस पर कार्यवाही कर रहा है। क्या सरकार के पास कुछ तथ्य पहले से थे ?

श्री पीलू मोदी : सरकार मामले को दबाने का यत्न कर रही है। आज ही यह विषय विचार के लिये रखा गया है। 200 पृष्ठ की रिपोर्ट पर हमें विचार करना है। यह तरीका संतोषप्रद नहीं है।

मैं तो इसी निर्णय पर पहुंचा हूं कि सरकार इस बारे में कुछ भी करना नहीं चाहती।

Shri Jagannath Rao Joshi : There has been a loss of 25 crores of rupees due to non-realisation of cost of empty gunny bags. What was the previous practice about that?

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : यह बात साफ है कि सरकार आरोपों का उत्तर देने की स्थिति में नहीं है। सरकार भ्रष्ट व्यक्तियों का बचाव करती रही है।

श्री समर गुह : मंत्री महोदय ने जो जांच की बात करी है वह किस प्रकार की जांच होगी ?

Shri Sadhu Ram (Phillour) : May I know whether, when refugees arrived in India, any directive was given to purchase foodgrains at higher prices or to do this job urgently?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को और कुछ नहीं कहना है। मैं आशावादी हूं। मुझे भारत के उज्ज्वल भविष्य पर विश्वास है। हम प्रजातन्त्र में आई बाधाओं पर नियंत्रण रख पाये है; यह संतोष की बात है।

मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

इसके पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिये स्थागित हुई।

The Lok Sabha then adjourned sine die.

MGIPRRND—49 LSS/72—NS-III—27-11-72—490.

PLS XIX. 4.72 (N)
490

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972